



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सो.जी.-डी.एल.-अ.-29122023-250953
CG-DL-E-29122023-250953

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2 — अनुभाग 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]
No. 2]

नई दिल्ली, शुक्रवार, 16 जून, 2023/26 ज्येष्ठ, 1945(शक)
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 2023/JYAISHTHA 26, 1945 (SAKA)

खंड LIX
[VOL. LIX

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 16 जून, 2023/26 ज्येष्ठ, 1945 (शक)

दि कंपनीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2020; (2) दि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2021; (3) दि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2021; (4) दि सरोगेसी (रेगुलेशन) ऐक्ट, 2021; (5) दि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोड्रोपिक सबस्टर्टेंसिस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2021; (6) दि इलेक्शन लॉज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2021; (7) दि कार्स्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022; (8) दि कार्स्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022; (9) दि दिल्ली घूनिसिपल कारपोरेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022; (10) दि क्रिमिनल प्रोसीजर (आईडॉफिकेशन) ऐक्ट, 2022; (11) दि वेरेंस ऑफ मास डिस्ट्रिक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स (प्रोहिविशन ऑफ अनलाफुल एक्टिविटीज) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2022; (12) दि फेमिली कोटर्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022 और (13) दि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, Friday 16, 2023/Jyaishtha 26, 1945 (Saka)

The translation in Hindi of the following, namely:—The Companies (Amendment) Act, 2020; (2) The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Act, 2021; (3) The Central Vigilance Commission (Amendment) Act, 2021; (4) The Surrogacy (Regulation) Act, 2021; (5) The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Act, 2021; (6) The Election Laws (Amendment) Act, 2021; (7) The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2022; (8) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2022; (9) The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2022; (10) The Criminal Procedure (Identification) Act, 2022; (11) The Weapons of Mass Destruction and Their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Act, 2022; (12) The Family Courts (Amendment) Act, 2022 and (13) The Central Universities (Amendment) Act, 2022 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

	पृष्ठ
कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 29)	239
The Companies (Amendment) Act, 2020	
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 45)	275
The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Act, 2021	
केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 46)	277
The Central Vigilance Commission (Amendment) Act, 2021	
सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 47)	279
The Surrogacy (Regulation) Act, 2021	
स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 48)	299
The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Act, 2021	
निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 49)	301
The Election Laws (Amendment) Act, 2021	
संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 8)	305
The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2022	
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 9)	307
The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2022	
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 10)	309
The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2022	
दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 11)	313
The Criminal Procedure (Identification) Act, 2022	
सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 14)	317
The Weapons of Mass Destruction and Their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Act, 2022	
कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 16)	319
The Family Courts (Amendment) Act, 2022	
केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 17)	321
The Central Universities (Amendment) Act, 2022	

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 29)

[28 सितम्बर, 2020]

कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ से, किन्हीं ऐसे उपबंधों के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध को प्रवर्तन में लाने के प्रति निर्देश है।

धारा 2 का संशोधन।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के 2013 का 18 खंड (52) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु कंपनियों के ऐसे वर्ग को, जो ऐसी प्रतिभूतियों के वर्ग को, जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की परामर्श से विहित किया जाए, सूचीबद्ध करती है या जिसका सूचीबद्ध करने का आशय रखती है, सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में नहीं समझा जाएगा।”।

धारा 8 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (11) में,—

- (क) “कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी और” शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ख) “किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों” शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 16 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(i) उपधारा (1) के खंड (ख) में, “छह मास की अवधि” शब्दों के स्थान पर “तीन मास की अवधि” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(3) यदि कोई कंपनी, उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निवेश का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करेगी, तो केन्द्रीय सरकार कंपनी को, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, नया नाम आबंटित करेगी और रजिस्ट्रार, कंपनी के रजिस्टर में, पुराने नाम के स्थान पर, नया नाम प्रविष्ट करेगा तथा नए नाम के साथ निगमन का नया प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिसके पश्चात् कंपनी उपयोग करेगी:

परंतु इस धारा की कोई बात, कंपनी को धारा 13 के उपबंधों के अनुसार उसका तत्पश्चात् नाम परिवर्तित करने से वर्जित नहीं करेगी।”।

धारा 23 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 23 में उपधारा (2) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(3) लोक कंपनियों का ऐसा वर्ग, अनुज्ञेय विदेशी अधिकारिताओं या ऐसी अन्य अधिकारिताओं में जो विहित की जाए, अनुज्ञाप्राप्त स्याक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूतियों के ऐसे वर्ग का निर्गम कर सकेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा उपधारा (3) में निर्दिष्ट पब्लिक कंपनियों के किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों को, इस अध्याय, अध्याय 4, धारा 89, धारा 90 या धारा 127 के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी और प्रत्येक ऐसी अधिसूचना की एक प्रति उसके जारी किए जाने के शीघ्र पश्चात् संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।”।

धारा 26 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (9) में,—

(क) “कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) “तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों” शब्दों के स्थान पर “तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 40 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (5) में,—

(क) “ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) “तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों” शब्दों के स्थान पर “तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 48 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (5) का लोप किया जाएगा।

9. मूल अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 56 का संशोधन।

“(6) जहाँ उपधारा (1) से उपधारा (5) के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है, वहाँ कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी हैं, पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा ।”।

10. मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (5) का लोप किया जाएगा। धारा 59 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) में “पंद्रह दिन से कम” शब्दों के पश्चात् “या ऐसे कम दिनों की संख्या जो विहित की जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे। धारा 62 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) में,— धारा 64 का संशोधन।

(क) “एक हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर “पांच सौ रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) “या पांच लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो” शब्दों के स्थान पर “कंपनी की दशा में अधिकतम पांच लाख रुपए और किसी अधिकारी की दशा में जो व्यतिक्रमी है एक लाख रुपए के अधीन रहते हुए” शब्द रखे जाएंगे।

13. मूल अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (11) का लोप किया जाएगा। धारा 66 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (11) में,— धारा 68 का संशोधन।

(क) “ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) “तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों” शब्दों के स्थान पर “तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।

15. मूल अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (11) का लोप किया जाएगा। धारा 71 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 86 का संशोधन।

“(1) यदि कंपनी इस अध्याय के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है, तो कंपनी पांच लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा ।”।

17. मूल अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 88 का संशोधन।

“(5) यदि कोई कंपनी, उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार सदस्यों या डिवेंचर धारकों या अन्य प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर नहीं रखती है या उसे बनाए रखने में असफल रहती है तो कंपनी तीन लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो ऐसा व्यतिक्रमी है, पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा ।”।

18. मूल अधिनियम की धारा 89 में,— धारा 89 का संशोधन।

(क) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(5) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित घोषणा करने में असफल रहता है, तो वह पचास हजार रुपए की शास्ति और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम पांच लाख रुपए के अधीन रहते हुए, पहले दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगा ।”;

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(7) यदि कोई कंपनी, जिससे उपधारा (6) के अधीन विवरणी फाइल करने की अपेक्षा है, उसमें विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति से पूर्व ऐसा करने में असफल रहती है, तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी हैं, कंपनी की दशा में अधिकतम पांच लाख रुपए और ऐसे अधिकारी की दशा में जो व्यतिक्रमी है अधिकतम दो लाख रुपए के अधीन रहते हुए, पहले दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है एक हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा।”;

(ग) उपधारा (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(11) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपधारा (10) के सिवाय, इस धारा की किन्हीं अपेक्षाओं का अनुपालन करने से किसी वर्ग या व्यक्तियों के किसी वर्ग को छूट प्रदान कर सकेगी, यदि वह लोकहित में ऐसी छूट प्रदान करना आवश्यक समझती है और ऐसी छूट या तो बिना शर्त या ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रदान की जा सकेगी।”।

धारा 90 का
संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 90 में,—

(क) उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(10) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित घोषणा करने में असफल रहता है, तो वह पचास हजार रुपए की शास्ति और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम दो लाख रुपए के अधीन रहते हुए, पहले दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है एक हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति, के लिए दायी होगा।”;

(ख) उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(11) यदि कोई कंपनी जिससे उपधारा (2) के अधीन रजिस्टर रखे जाने और उपधारा (4) के अधीन सूचना फाइल करने की अपेक्षा है या उपधारा (4क) के अधीन आवश्यक कार्यवाही करना अपेक्षित है, वह ऐसा करने में असफल रहती है या उसमें यथा उपबंधित निरीक्षण से इंकार करती है, तो ऐसी कंपनी एक लाख रुपए की शास्ति और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम पांच लाख रुपए के अधीन रहते हुए और पहले दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है पांच सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रम करता है, पच्चीस हजार रुपए की शास्ति और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम एक लाख रुपए के अधीन रहते हुए, पहले दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है दो सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति, के लिए दायी होगा।”।

धारा 92 का
संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 92 में,—

(क) उपधारा (5) में,—

(i) “पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “पांच लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर “कंपनी की दशा में दो लाख रुपए और किसी अधिकारी, जो व्यतिक्रम करता है की दशा में पचास हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (6) में “जुमाने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर “दो लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

21. मूल अधिनियम की धारा 105 की उपधारा (5) में,—

धारा 105 का
संशोधन।

(क) “जो उपरोक्त आमंत्रणों को जानबूझकर जारी करता है या उसको जारी करने को जानबूझकर प्राधिकृत करता है या अनुज्ञात करता है, ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “जो यथापूर्वक आमंत्रणों को जारी करता है या उसको जारी करने को प्राधिकृत करता है या अनुज्ञात करता है, पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक में “दंडनीय” शब्द के स्थान पर “दायी” शब्द रखा जाएगा।

22. मूल अधिनियम की धारा 117 में,—

धारा 117 का
संशोधन।

(i) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(2) यदि कोई कंपनी विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उपधारा (1) के अधीन संकल्प या करार फाइल करने में असफल रहती है तो ऐसी कंपनी दस हजार रुपए की शास्ति और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम दो लाख रुपए के अधीन रहते हुए और पहले दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है एक सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, जिसके अंतर्गत कंपनी का समापक भी है, यदि कोई हो, दस हजार रुपए की शास्ति और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम पचास हजार रुपए के अधीन रहते हुए, पहले दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है एक सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगा।”;

(ii) उपधारा (3) के खंड (छ) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह और कि इस खंड में अन्तर्विष्ट कोई बात, उसके कारबार के साधारण अनुक्रम में, धारा 179 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन, निम्नलिखित द्वारा अनुदान ऋण पारित करने या प्रत्याभूति देने अथवा ऋण की बाबत सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारित संकल्प के संबंध में लागू नहीं होगी,—

(क) किसी बैंककारी कंपनी;

1934 का 2

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय 3ख के अधीन रजिस्ट्रीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के किसी ऐसे वर्ग को, जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से विहित किया जाए;

1987 का 53

(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अधीन रजिस्ट्रीकृत आवास वित्तपोषण कंपनी के किसी ऐसे वर्ग को, जो राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ परामर्श से विहित किया जाए; और”।

23. मूल अधिनियम की धारा 124 में, उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 124 का
संशोधन।

“(7) यदि कोई कंपनी इस धारा की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहती है तो ऐसी कंपनी एक लाख रुपए की शास्ति और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम दस लाख रुपए के अधीन रहते हुए, पहले दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है पांच सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, पच्चीस हजार रुपए की शास्ति और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम दो लाख रुपए के अधीन रहते हुए, पहले दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगा।”।

धारा 128 का
संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (6) में,—

(क) “ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) “या दोनों से” शब्दों का लोप किया जाएगा।

नई धारा 129 का
का अंतःस्थापन।

25. मूल अधिनियम की धारा 129 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“129क. केंद्रीय सरकार, अनुसूचीबद्ध कंपनियों के वर्ग या वर्गों से निम्नलिखित अपेक्षा कर सकेगी, जो विहित की जाए,—

(क) ऐसे कालिक आधारों पर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कंपनी के वित्तीय परिणामों को तैयार करना;

(ख) निदेशक बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करना और ऐसे कालिक वित्तीय परिणामों की, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संपूर्ण संपरीक्षा या सीमित पुनर्विलोकन करना; और

(ग) सुसंगत अवधि की समाप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसी फीस जो विहित की जाए, के साथ रजिस्ट्रार को एक प्रति दाखिल करना।”।

धारा 134 का
संशोधन।

अर्थात्:—

“(8) यदि कंपनी इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है, तो कंपनी तीन लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा।”।

धारा 135 का
संशोधन।

27. मूल अधिनियम की धारा 135 में,—

(क) उपधारा (5) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह और कि यदि कंपनी इस उपधारा के अधीन उपबंधित अपेक्षाओं के आधिक्य में रकम खर्च करती है तो ऐसी कंपनी इस धारा के अधीन खर्च की गई अपेक्षाओं के विरुद्ध, उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों की ऐसी संख्या के लिए, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऐसी अधिक रकम का मुजरा कर सकेगी।”;

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(7) यदि कंपनी, उपधारा (5) या उपधारा (6) के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है, तो कंपनी यथास्थिति, अनुसूची 7 में या अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व खाते में विनिर्दिष्ट निधि में कंपनी द्वारा अन्तरित किए जाने के लिए अपेक्षित रकम से दुगुने या एक करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, की शास्ति के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, यथास्थिति, अनुसूची 7 में या अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व खाते में विनिर्दिष्ट निधि में कंपनी द्वारा अन्तरित किए जाने के लिए अपेक्षित रकम का 1/10 या दो लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, की शास्ति के लिए दायी होगा।”;

(ग) उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(9) उपधारा (5) के अधीन कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली रकम पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो उपधारा (1) के अधीन निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करने के लिए अपेक्षा लागू नहीं होगी और इस धारा के अधीन उपबंधित, ऐसी समिति के कृत्य का निर्वहन, ऐसे मामलों में ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा।”।

28. मूल अधिनियम की धारा 137 की उपधारा (3) में,—

धारा 137 का संशोधन।

(क) “ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता बनी रहती है, एक हजार रुपए के, किन्तु जो दस लाख रुपए से अधिक नहीं होगा, जुर्माने से दण्डनीय होगी” शब्दों के स्थान पर “दस हजार रुपए की शास्ति और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम दो लाख रुपए के अधीन रहते हुए, जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति, के लिए दायी होगी” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) “एक लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) “पांच लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर “पचास हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

29. मूल अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (3) में, “पांच लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर “दो लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 140 का संशोधन।

30. मूल अधिनियम की धारा 143 में, उपधारा (15) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्—

धारा 143 का संशोधन।

“(15) यदि कोई व्यवसायरत संपरीक्षक, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव, उपधारा (12) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है तो वह,—

(क) सूचीबद्ध कंपनी की दशा में पांच लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी; और

(ख) अन्य कंपनी की दशा में एक लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा।”।

31. मूल अधिनियम की धारा 147 में,—

धारा 147 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) “कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) “एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों” शब्दों के स्थान पर “एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, “धारा 143” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

32. मूल अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (9) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

धारा 149 का संशोधन।

“परंतु यदि किसी कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ या उसका लाभ अपर्याप्त है, तो एक स्वतंत्र निदेशक अनुसूची 5 के उपबंधों के अनुसार, धारा 197 की उपधारा (5) के अधीन देय किसी फीस के अतिरिक्त, पारिश्रमिक प्राप्त कर सकेगा।”।

33. मूल अधिनियम की धारा 165 की उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्—

धारा 165 का संशोधन।

“(6) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अतिक्रमण में निदेशक के रूप में कोई नियुक्त स्वीकार करे, तो वह अधिकतम दो लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए, जो पहले दिन के पश्चात्, प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अतिक्रमण जारी रहती है, दो हजार रुपए की शास्ति, के लिए दायी होगा।”।

34. मूल अधिनियम की धारा 167 की उपधारा (2) में,—

धारा 167 का संशोधन।

(क) “कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) “पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों” शब्दों के स्थान पर “पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 172 का
संशोधन।

35. मूल अधिनियम की धारा 172 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“172. यदि कोई कंपनी इस अध्याय के ऐसे किन्हीं उपबंधों के अनुपालन में व्यतिक्रम करेगी जिसके लिए उसमें कोई विनिर्दिष्ट शास्ति का उपबंध नहीं है, तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी हैं, पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी/होगा और कंपनी की दशा में अधिकतम तीन लाख रुपए और अधिकारी जो व्यतिक्रमी हैं की दशा में अधिकतम एक लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए शास्ति जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, पांच सौ रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी/होगा।”।

धारा 178 का
संशोधन।

36. मूल अधिनियम की धारा 178 की उपधारा (8) में, “ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “पांच लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, एक लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 184 का
संशोधन।

37. मूल अधिनियम की धारा 184 की उपधारा (4) में, “ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “एक लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 187 का
संशोधन।

38. मूल अधिनियम की धारा 187 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(4) यदि कंपनी इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है, जो कंपनी पांच लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा।”।

धारा 188 का
संशोधन।

39. मूल अधिनियम की धारा 188 की उपधारा (5) में,—

(क) खंड (i) में, “ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ii) में, “ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “पांच लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 197 का
संशोधन।

40. मूल अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (3) में, “पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध” शब्दों के पश्चात् “अथवा कोई अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक को सम्मिलित करते हुए,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 204 का
संशोधन।

41. मूल अधिनियम की धारा 204 की उपधारा (4) में, “ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “दो लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 232 का
संशोधन।

42. मूल अधिनियम की धारा 232 में, उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(8) यदि कोई कंपनी इस उपधारा (5) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहती है, तो ऐसी कंपनी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, बीस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी/होगा और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम तीन लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए, जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है एक हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगी/होगा।”।

- 43.** मूल अधिनियम की धारा 242 की उपधारा (8) में,—
 (क) “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या” शब्दों का लोप किया जाएगा;
 (ख) “एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों” शब्दों के स्थान पर “एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।
- 44.** मूल अधिनियम की धारा 243 की उपधारा (2) में,—
 (क) “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या” शब्दों का लोप किया जाएगा;
 (ख) “पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों” शब्दों के स्थान पर “पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।
- 45.** मूल अधिनियम की धारा 247 की उपधारा (3) में, “ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।
- 46.** मूल अधिनियम की धारा 284 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—
 “(2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन कंपनी समापक की सहायता या सहयोग करना अपेक्षित है, वह सहायता या सहयोग नहीं करता है, तो कंपनी समापक अधिकरण को आवश्यक निदेश देने के लिए एक आवेदन कर सकेगा।
 (3) अधिकरण, उपधारा (2) के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर, आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को, जिससे कंपनी समापक की सहायता या सहयोग करना अपेक्षित है, कंपनी समापक, के अनुदेशों का पालन करने और उसके कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में सहयोग करने का निदेश देगा।”।
- 47.** मूल अधिनियम की धारा 302 में,—
 (क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
 “(3) अधिकरण, आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर,—
 (क) रजिस्ट्रार को आदेश की एक प्रति अग्रेषित करेगा, जो कंपनी से संबंधित रजिस्टर में कंपनी के विघटन के कार्यवृत्त अभिलिखित करेगा; और
 (ख) कंपनी के समापक को आदेश की एक प्रति, रजिस्ट्रार को अग्रेषित करने का निदेश देगा, जो कंपनी से संबंधित रजिस्टर में कंपनी के विघटन का कार्यवृत्त अभिलिखित करेगा।”;
 (ख) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा।
- 48.** मूल अधिनियम की धारा 342 में उपधारा (6) का लोप किया जाएगा।
- 49.** मूल अधिनियम की धारा 347 की उपधारा (4) में,—
 (क) “ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या” शब्दों का लोप किया जाएगा;
 (ख) “पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों” शब्दों के स्थान पर “पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।
- 50.** मूल अधिनियम की धारा 348 में,—
 (क) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
 “(6) जहां एक कंपनी समापक, जो शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता, 2016 के अधीन रजिस्ट्रीकृत दिवाला वृत्तिक है, इस धारा का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करता है, तो ऐसा

व्यतिक्रम उक्त संहिता और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का, उस संहिता के भाग 4 के अध्याय 6 के अधीन कार्रवाइयों के प्रयोजन के लिए उल्लंघन समझा जाएगा।”;

(ख) उपधारा (7) का लोप किया जाएगा।

धारा 356 का
संशोधन।

51. मूल अधिनियम की धारा 356 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(2) अधिकरण,—

(क) आदेश की एक प्रति, उसके दिए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा, जो उसे अभिलिखित करेगा; और

(ख) कंपनी समापक या ऐसे व्यक्ति को, जिसके आवेदन पर वह आदेश किया गया था, आदेश की तारीख से तीस दिन या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो अधिकरण द्वारा अनुज्ञात की जाए, के भीतर आदेश की प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल करने का निदेश देगा, जो उसे अभिलिखित करेगा।”।

नए अध्याय 21 का
अंतःस्थापन।

52. मूल अधिनियम की धारा 378 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

अध्याय 21क

उत्पादक कंपनियां

भाग 1

प्रारम्भिक

परिभाषाएं।

378क. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “सक्रिय सदस्य” से ऐसा सदस्य अभिप्रेत है, जो उत्पादक कंपनी के परिमाण और प्रश्रय अवधि को पूरा करता है जैसा की अनुच्छेदों द्वारा विहित किया जाए;

(ख) “मुख्य कार्यकारी” से धारा 378ब की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) “अन्तरराज्यिक सहकारी सोसायटी” से बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 की धारा 3 के छंड (त) में यथापरिभाषित बहुराज्य सहकारी सोसायटी अभिप्रेत है और इसमें तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसायटी सम्मिलित है, जिसने उसके निर्माण के पश्चात् चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी संस्था जिसका वह घटक है के माध्यम से, भाग लेने वाले व्यक्तियों की भर्ती द्वारा या राज्य के बाहर उसके किन्हीं क्रियाकलापों के विस्तार द्वारा, एक से अधिक राज्यों में उसके किसी उद्देश्य का विस्तार किया है;

(घ) “सीमित रिटर्न” से अधिकतम लाभांश अभिप्रेत है, जैसा कि अनुच्छेदों द्वारा विहित किया जाए;

(ङ) “सदस्य” से कोई व्यक्ति या उत्पादक संस्था (चाहे निगमित हो या नहीं हो) अभिप्रेत है, जिसे उत्पादक कंपनी के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है और जो ऐसे जारी रखने के लिए आवश्यक अर्हताएं प्रतिधारित करता है;

(च) “पारस्परिक सहायता सिद्धांत” से धारा 378छ की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सिद्धांत अभिप्रेत है;

(छ) “अधिकारी” में कोई निदेशक या मुख्य कार्यकारी या सचिव या ऐसा अन्य व्यक्ति जिसके निदेशों या अनुदेशों के अनुसार उत्पादक कंपनी का कारबार भागतः या पूर्णतः कार्यान्वयित किया जाता है, सम्मिलित है;

(ज) “प्रश्रय” से उत्पादक कंपनी या उसके सदस्यों द्वारा दी गई सेवाओं का, उसके कारबार क्रियाकलापों में भाग लेने के द्वारा उपयोग अभिप्रेत है;

(ज्ञ) “प्रश्रय बोनस” से उत्पादक कंपनी द्वारा, उसकी अधिशेष आय में से, सदस्यों को उनके अपने-अपने प्रश्रय के अनुपात में किया संदाय अभिप्रेत है;

(ज) “प्रारम्भिक उत्पाद” से अभिप्रेत है—

(i) कृषि (जिसके अन्तर्गत पशुपालन, उद्यान-कृषि, पुष्प-कृषि, मत्स्य-पालन, अंगूर की खेती, वानिकी, बन-उत्पाद, रिवेजिटेशन, मधुमक्खी पालन और बागान उत्पादों की खेती भी है), से या किसी अन्य प्रारम्भिक क्रियाकलाप या सेवा जो कृषकों या उपभोक्ताओं के हित का संवर्धन करते हैं, से उद्भूत कृषक के उत्पाद; या

(ii) हथकरघा, हस्तशिल्प और अन्य कुटीर उद्योगों में नियोजित व्यक्तियों के उत्पाद; या

(iii) उपरोक्त क्रियाकलापों में से किसी से उद्भूत कोई अन्य उत्पाद, जिसके अन्तर्गत ऐसे उत्पादों के उपोत्पाद भी है; या

(iv) सहायक क्रियाकलापों से उद्भूत अन्य कोई उत्पाद, जो उपरोक्त क्रियाकलापों में से किसी के या उसके सहायक किसी चीज में सहायता या उसका संवर्धन कर सकेगा; या

(v) कोई क्रियाकलाप जो उपखंड (i) से उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी चीज के उत्पादन की वृद्धि या उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आशयित है;

(ट) “उत्पादक” से अभिप्रेत है, किसी प्राथमिक उत्पाद के सापेक्ष या संबंधित किसी क्रियाकलाप में संलग्न कोई व्यक्ति या;

(ठ) “उत्पादक कंपनी” से धारा 378ख में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों या क्रियाकलापों को रखने वाली और इस अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पादक कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई निगम निकाय अभिप्रेत है;

(ड) “उत्पादक संस्था” से अभिप्रेत है, कोई उत्पादक कंपनी या कोई अन्य संस्था जो केवल उत्पादक या उत्पादक कंपनी या उत्पादक कंपनियों को इसके सदस्य के रूप में धारित करती हो चाहे निगमित हो या नहीं जो धारा 378ख में निर्दिष्ट किन्हीं उद्देश्यों को धारित करती हो और जो इसके अनुच्छेदों में यथा उपबंधित उत्पादक कंपनी या उत्पादक कंपनियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए सहमत है;

(ढ) “विधारित कीमत” से अभिप्रेत है, उत्पादक कंपनी के किसी सदस्य द्वारा प्रदाय किए गए मालों के लिए संदेय या शोध्य कीमत का भाग; और किसी पश्चात्वर्ती तारीख पर संदाय के लिए उत्पादक कंपनी द्वारा यथा विधारित हो।

भाग 2

उत्पादक कंपनियों का निगमन और अन्य विषय

378ख. (1) उत्पादक कंपनी के उद्देश्य निम्नलिखित सभी या किसी विषय से संबंधित होंगे:—

उत्पादक कंपनी के उद्देश्य।

“(क) सदस्यों के प्राथमिक उत्पाद के निर्यात, उत्पादन, संचयन, उपापन, श्रेणीकरण, पूलिंग, सभांतना, विपणन, विक्रय या उनके फायदे के लिए मालों या सेवाओं के आयात:

परंतु उत्पादक कंपनी इस खंड में निर्दिष्ट किन्हीं क्रियाकलापों को स्वयं या अन्य संस्था के माध्यम से कर सकेगी;

(ख) इसके सदस्यों के उत्पाद का प्रसंस्करण जिसके अंतर्गत परिरक्षण, सुखाना, आसवन, किण्वन, द्राक्षासंचयन, डिब्बाबंदी और पैकिंग भी है;

(ग) मुख्यतः इसके सदस्यों को विनिर्माण, मशीनरी उपस्कर या उपभोज्य वस्तु का विक्रय व प्रदाय;

(घ) इसके सदस्यों और अन्यों को पारस्परिक सहायता सिद्धांतों पर शिक्षा का उपबंध करना;

(ड) इसके सदस्यों के हितों की संवृद्धि के लिए तकनीकी सेवाएं परामर्श सेवाएं, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास तथा अन्य सभी क्रियाकलाप;

(च) विद्युत का सूजन, पारेषण और वितरण, भूमि और जल संसाधनों का पुनरुज्जीवन उनके उपयोग, प्राथमिक उत्पाद के सापेक्ष संरक्षण और संचार;

(छ) उत्पादकों का या उनके प्राथमिक उत्पाद का बीमा;

(ज) पारस्परिकता और पारस्परिक सहायता तकनीकों की संवृद्धि;

(झ) सदस्यों के फायदे के लिए प्रसुविधा या कल्याण के उपाय जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाएं;

(ज) कोई अन्य क्रियाकलाप जो खंड (क) से खंड (झ) में निर्दिष्ट किन्हीं क्रियाकलापों के आनुषंगिक या सहायक हों या अन्य क्रियाकलाप जो सदस्यों के बीच पारस्परिकता और पारस्परिक सहायता सिद्धांतों की संवृद्धि अन्य किसी रीति से करें;

(ट) खंड (क) से खंड (ज) में विनिर्दिष्ट उपापन, प्रसंस्करण, विपणन या अन्य क्रियाकलाप को वित्त उपलब्ध कराना जिसके अंतर्गत इसके सदस्यों को किसी अन्य वित्तीय सेवाओं या प्रत्यय प्रसुविधा का विस्तार भी है।

(2) प्रत्येक उत्पादक कंपनी इस धारा में विनिर्दिष्ट इसके किसी उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए प्रारम्भिक रूप से इसके सक्रिय सदस्यों के उत्पाद के संबंध में संव्यवहार करेगी।

उत्पादक कंपनी का निर्माण और इसका रजिस्ट्रीकरण।

378ग. (1) कोई दस या अधिक व्यष्टि, उनमें से प्रत्येक एक उत्पादक होते हुए या कोई दो या अधिक उत्पादक संस्था, या दस या अधिक व्यष्टियों और उत्पादक संस्थाओं का संयोजन जो धारा 378ख में विनिर्दिष्ट इसके उद्देश्यों को धारण करने वाली एक उत्पादक कंपनी के निर्माण करने के इच्छुक हैं और रजिस्ट्रीकरण के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों और इस अध्याय की अपेक्षाओं का अन्यथा पालन करते हैं, इस अधिनियम के अधीन एक उत्पादक कंपनी के रूप में एक निगमित कंपनी बना सकेंगे।

(2) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान है कि यदि रजिस्ट्रीकरण और इसके पूर्वगामी और आनुषंगिक विषयों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, तो वह रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ज्ञापन, अनुच्छेदों और अन्य दस्तावेजों, यदि कोई हो, रजिस्टर करेगा, और इस अधिनियम के अधीन निगमन का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) कोई उत्पादक कंपनी जो इस तरह बनाई गई है, कि इसके सदस्यों का उनके अपने-अपने द्वारा धारित अंशों पर असंदर्भ ज्ञापन द्वारा सीमित ऐसी रकम, यदि कोई हो, के प्रति उत्तरदायित्व होगा और वह अंशों द्वारा सीमित कंपनी कही जाएगी।

(4) उत्पादक कंपनी, कंपनी के संवर्धन और रजिस्ट्रीकरण के साथ सहयुक्त अन्य सभी प्रत्यक्ष लागतों की इसके प्रवर्तकों को प्रतिपूर्ति कर सकेगी जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण, विधिक फीस, ज्ञापन व अनुच्छेदों का मुद्रण भी है और इसका संदाय इसके सदस्यों के पहले साधारण अधिवेशन में अनुमोदन के अधीन होगी।

(5) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण पर, उत्पादक कंपनी एक निगम निकाय होगी मानो यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको इस अध्याय में अंतर्विष्ट उपबंध, यद्यपि इसके सदस्यों की संख्या की सीमा के बिना लागू होंगे और उत्पादन कंपनी, किसी भी परिस्थिति में चाहे जो भी हो, इस अधिनियम के अधीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी न तो होगी न ही समझी जाएगी।

उत्पादक कंपनी के सदस्यों का मताधिकार व सदस्यता।

378घ. (1) (क) उस दशा में जहां कोई सदस्यता एकमात्र व्यष्टिगत सदस्यों से युक्त है, वहां उसकी शेयर धारिता या उत्पादक कंपनी के प्रश्रय पर ध्यान दिए बिना, प्रत्येक सदस्य के लिए एकल मत पर आधारित मताधिकार होगा।

(ख) उस दशा में जहां सदस्यता केवल उत्पादक संस्थाओं से मिलकर बनी है, वहां ऐसी उत्पादक संस्थाओं का मताधिकार पूर्ववर्ष में उत्पादक कंपनी के कारबार में उनकी सहभागिता के आधार पर ऐसे अवधारित किया जाएगा, जो अनुच्छेदों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएः

परन्तु कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के पहले वर्ष के दौरान मताधिकार ऐसी उत्पादक संस्थाओं द्वारा शेयर धारिता के आधार पर अवधारित किया जाएगा;

(ग) उस दशा में जहां कोई सदस्यता व्यष्टिगत सदस्यों और उत्पादक संस्थाओं से युक्त है, वहां मताधिकार की संगणना प्रत्येक सदस्य के लिए एकल मत के आधार पर की जाएगी।

(2) किसी उत्पादक कंपनी के अनुच्छेद उन शर्तों का उपबंध कर सकेंगे, जिनके अधीन रहते हुए कोई सदस्य अपनी सदस्यता बनाए रखें, और वह रीति जिसमें सदस्यों द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई उत्पादक कंपनी, यदि वह उसके अनुच्छेदों द्वारा ऐसे प्राधिकृत है, किसी विशेष या साधारण अधिवेशन में सक्रिय सदस्यों तक मताधिकार को निर्बंधित कर सकेगी।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका कोई कारबार में ऐसा हित रखता है, जो उत्पादक कंपनी के कारबार के विरुद्ध है, तो वह उस कंपनी का सदस्य नहीं होगा।

(5) कोई सदस्य, जो ऐसा कारबार हित अर्जित करता है जो उत्पादक कंपनी के कारबार के विरुद्ध है, तो वह उस कंपनी का सदस्य नहीं रहेगा और अनुच्छेदों के अनुसार सदस्य के रूप में हटा दिया जाएगा।

378ड (1) इन अनुच्छेदों में बनाए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य प्रारम्भ में पूल सदस्यों के फायदे। और प्रदाय किए गए उत्पाद या उत्पादों के लिए केवल ऐसा मूल्य प्राप्त करेंगे जो उत्पादक कंपनी का बोर्ड अवधारित करें, और विधारित कीमत ऐसे विस्तार तक और ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादक कंपनी को प्रदाय किए गए उत्पाद के अनुपात में साधारण अंशों के आबंटन या नकद द्वारा या ऐसे ही प्रकार से बाद में वितरित की जा सकेगी जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(2) प्रत्येक सदस्य, अभिदाय की गई अंश पूँजी पर केवल सीमित प्रत्यागम प्राप्त करेंगे:

परन्तु प्रत्येक ऐसे सदस्यों को धारा 378यज में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार बोनस अंश आवंटित किया जा सकेगा।

(3) अधिशेष, यदि कोई हो, जो सीमित प्रत्यागम के संदाय के लिए उपबंध करने के पश्चात् शेष रहे और धारा 378यज में निर्दिष्ट आरक्षित को, सदस्यों के बीच प्रश्रय बोनस के रूप में, उत्पादक कंपनी के कारबार में उनकी सहभागिता के अनुपात में, या तो नकद रूप में या साधारण शेयरों के आबंटन द्वारा या दोनों के द्वारा, जो साधारण अधिवेशन में सदस्यों द्वारा विनिश्चित किया जाए, वितरित किया जा सकेगा।

378च. प्रत्येक उत्पादक कंपनी के संगम-ज्ञापन में निम्नलिखित उल्लिखित होगा—

उत्पादक कंपनी का ज्ञापन।

(क) ऐसी कंपनी के नाम के अंतिम शब्दों के रूप में “उत्पादक कंपनी लिमिटेड” के साथ कंपनी का नाम;

(ख) वह राज्य जिसमें उत्पादक कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है;

(ग) उत्पादक कंपनी के मुख्य उद्देश्य धारा 378ख में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से एक या अधिक होंगे;

(घ) ऐसे व्यक्तियों के नाम और पते जिन्होंने ज्ञापन में अभिदाय किया है;

(ङ) शेयर पूँजी की रकम जिसके साथ किसी उत्पादक कंपनी को रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और नियत रकम के शेयरों में उसका प्रभाग;

(च) उत्पादक होते हुए उन अभिदाताओं के नाम, पते, व्यवसाय, जो धारा 378ज की उपधारा (2) के अनुसार प्रथम निदेशक के रूप में कार्य करेंगे;

(छ) यह कि इसके सदस्यों का दायित्व सीमित है;

(ज) अभिदाताओं के नाम के सामने, प्रत्येक अभिदाता द्वारा लेने वाले शेयरों की संख्या:

परन्तु कोई भी अभिदाता एक से कम शेयर नहीं लेगा;

(ज्ञ) उस दशा में जहां उत्पादक कंपनी के उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है वहां वे राज्य जिनके क्षेत्र में उद्देश्यों का विस्तार किया गया है।

संगम अनुच्छेद। 378छ. (1) उस राज्य के रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकरण के लिए जहां संगम ज्ञापन द्वारा उल्लिखित उत्पादक कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाएगा—

(क) उत्पादक कंपनी का ज्ञापन;

(ख) ज्ञापन के अभिदाताओं द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित इसके अनुच्छेद।

(2) अनुच्छेदों में निम्नलिखित पारस्परिक सहायक सिद्धांत अन्तर्विष्ट होंगे, अर्थात्—

(क) सदस्यता स्वैच्छिक और उन सभी पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध होगी जो उत्पादक कंपनी की सुविधाओं में भाग ले सकते हैं या सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और सदस्यता के कर्तव्यों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं;

(ख) इस अध्याय में अन्यथा उपबंध के सिवाय प्रत्येक सदस्य का उसकी शेयर धारिता को ध्यान दिए बिना केवल एकल मत होगा;

(ग) उत्पादक कंपनी एक बोर्ड द्वारा प्रशासित होगी जिसमें इस अध्याय के उपबंधों से संगत रीति से निदेशक के रूप में निर्वाचित या नियुक्त व्यक्ति होंगे और बोर्ड सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होगा;

(घ) शेयर पूँजी पर सीमित प्रत्यागम पर विशिष्टियां;

(ड) उत्पादक कंपनी के प्रचालनों से उद्भूत अधिशेष को साम्यक रीति में निम्नलिखित रूप से वितरित किया जाएगा—

(i) उत्पादक कंपनी के कारबार के विकास के लिए उपबंध करके;

(ii) सामान्य सुविधाओं के लिए उपबंध करके; और

(iii) सदस्यों के बीच वितरित करके, जो कारबार में उनके संबंधित सहभागिता के अनुपात में ग्राह्य हो;

(च) पारस्परिकता के सिद्धांतों और पारस्परिक सहायता की तकनीकों पर सदस्यों, कर्मचारियों और अन्यों की शिक्षा के लिए उपबंध;

(छ) उत्पादक कंपनी स्थानीय, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य उत्पादक कंपनियों (और ऐसे ही सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले अन्य संगठन) के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करेगी जिससे इसके सदस्यों और समुदायों के हितों की सर्वोत्तम सेवा हो सके जो सेवा तात्पर्यित थी।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुच्छेद निम्नलिखित उपबंधों को अन्तर्विष्ट करेंगे, अर्थात्—

(क) सदस्यता के लिए अहताएं, सदस्यता के रद्दकरण या जारी रखने के लिए शर्तें, और शेयरों के अंतरण के लिए प्रक्रिया, शर्तें और निबंधन;

(ख) प्रश्रय और प्रश्रय पर आधारित मताधिकार सुनिश्चित करने की रीति;

(ग) धारा 378छ की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड के गठन की रीति, इसके कर्तव्य और शक्तियां, इसके निदेशकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या, निदेशकों के निर्वाचन और नियुक्ति की रीति तथा चक्रानुक्रम के द्वारा सेवानिवृत्ति, निर्वाचित किए जाने या इसी प्रकार बने रहने के लिए अहताएं और उक्त निदेशकों की पदावधि, उनकी शक्तियां और कर्तव्य, निदेशकों के सहयोजन या निर्वाचन के लिए शर्तें, निदेशकों को हटाए जाने का ढंग और बोर्ड में रिक्तियों का भरा जाना, तथा मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति के निबंधन और रीति;

(घ) अध्यक्ष का निर्वाचन, निदेशकों और अध्यक्ष की पदावधि, सदस्यों की साधारण या विशेष अधिवेशन में मत देने की रीति, बोर्ड के अधिवेशन में निदेशकों द्वारा मत देने की प्रक्रिया, अध्यक्ष की

शक्तियां और वे परिस्थितियां जिनके अधीन अध्यक्ष निर्णयक मत का प्रयोग का सकेगा;

(ङ) वे परिस्थितियां जिनके अधीन और वे रीति जिनमें विधारित कीमत अवधारित या वितरित की जाएंगी;

(च) नकद में या साधारण शेयरों के जारी करने के द्वारा या दोनों के द्वारा प्रश्रय बोनस के वितरण की रीति;

(छ) साझा किए जाने वाले अभिदाय और धारा 378यज्ञ की उपधारा (2) में निर्दिष्ट संबंधित विषय;

(ज) धारा 378यज्ञ में यथा अधिकथित साधारण आरक्षितियों में से बोनस शेयरों की जारी करने से संबंधित विषय;

(झ) सदस्यों द्वारा प्रदाय किए गए उत्पाद या उत्पादों विक्रय आगमों के या पूरे भाग के बदले में उत्पादक कंपनी के साधारण शेयरों के आबंटन की रीति और आधार;

(ञ) आगक्षितियों की रकम, वे स्रोत जिनसे निधियों को उद्भूत किया जा सकेगा, निधियों को उद्भूत किए जाने की परिसीमा, ऐसी निधियों के उपयोग पर निर्बंधन और कर्ज का विस्तार जिसका अनुबंध किया जा सके और उसकी शर्तें;

(ट) प्रत्यय, ऋण या अग्रिम जिसे किसी सदस्य को अनुदान दिया जा सके और ऐसे अनुदान की शर्तें;

(ठ) कंपनी के साधारण कारबार से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए किसी सदस्य का अधिकार;

(ड) उत्पादक कंपनी के परिसमापन या विघटन की दशा में दायित्वों को पूरा करने के पश्चात् उपलब्ध निधियों के वितरण और निपटारे की रीति तथा आधार;

(ढ) बंटवारे का प्राधिकार, समामेलन, विलयन, सहायिकियों का सृजन और संयुक्त जोखिमों में प्रवेश करना और उससे संबंधित अन्य विषय;

(ण) उत्पादक कंपनी के अनुच्छेदों और ज्ञापन को विषय साधारण अधिवेशन के समक्ष रखा जाना जोकि इसके रजिस्ट्रीकरण से नब्बे दिन के भीतर आयोजित होगा;

(त) कोई अन्य उपबंध, जिसे सदस्य, विशेष संकल्प के द्वारा अनुच्छेदों में सम्मिलित करने की सिफारिश करें।

378ज. (1) कोई उत्पादक कंपनी इसके ज्ञापन में अंतर्विष्ट शर्तों को उस दशा के सिवाय उस ढंग से और ज्ञापन का संशोधन। उस विस्तार तक जिसे इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उपबंधित किया गया है, परिवर्तित नहीं करेगी।

(2) कोई उत्पादक कंपनी, विशेष संकल्प के द्वारा, जो धारा 378ख से असंगत न हो इसके ज्ञापन में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को परिवर्तित कर सकेगी।

(3) संशोधित ज्ञापन की एक प्रति, दो निदेशकों के द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित विशेष संकल्प की प्रति के साथ उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी संकल्प के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल की जाएंगी:

परंतु किसी कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के एक रजिस्ट्रार की अधिकारिता से दूसरे रजिस्ट्रार की अधिकारिता में अंतरण की दशा में दो निदेशकों के द्वारा प्रमाणित विशेष संकल्प की प्रमाणित प्रतियां तीस दिन के भीतर दोनों रजिस्ट्रारों के समक्ष फाइल की जाएंगी, और प्रत्येक रजिस्ट्रार उसको अधिलिखित करेगा, और तब वह रजिस्ट्रार जिसकी अधिकारिता से कार्यालय अंतरित हुआ है, दूसरे रजिस्ट्रार को उत्पादक कंपनी से संबंधित सभी दस्तावेजों को तुरंत अंग्रेजित करेगा।

(4) एक राज्य से दूसरे राज्य में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान के परिवर्तन से संबंधित ज्ञापन के उपबंधों के परिवर्तन का कोई प्रभाव तब तक अंतरित होगा जब तक कि ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से आवेदन किए

जाने पर जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे अनुमोदित न कर दिया जाए।

अनुच्छेदों का
संशोधन।

378ज्ञ. (1) अनुच्छेदों में कोई भी संशोधन उत्पादक कंपनी के निर्वाचित निदेशकों के कम से कम दो तिहाई या सदस्यों के कम से कम एक तिहाई द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा और उसे विशेष संकल्प द्वारा अंगीकृत किया जाएगा।

(2) संशोधित अनुच्छेदों की प्रति विशेष संकल्प की प्रति के साथ, दोनों निदेशकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित करके इसके अंगीकरण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी।

अन्तरराज्यीय
सहकारी
सोसाइटियों का
उत्पादक कंपनी
बनने का विकल्प।

378ज. (1) धारा 378ग की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी जिसके उद्देश्य एक राज्य तक परिसीमित नहीं हैं, वह रजिस्ट्रार को इस अध्याय के अधीन उत्पादक कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित सहयुक्त होगा,—

(क) अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी के कुल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा इस अधिनियम के अधीन उत्पादक कंपनी के रूप में निगमन के लिए विशेष संकल्प की प्रति;

(ख) निम्नलिखित दर्शित करने वाला एक विवरण,—

(i) ऐसी सहकारी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक और निदेशकों के नाम और पते या व्यवसाय, यदि कोई हो, चाहे इसे जिस नाम से भी जाना जाए; और

(ii) ऐसी अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी के सदस्यों की सूची;

(ग) यह इंगित करने वाला विवरण कि अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी धारा 378ख में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में किसी एक या अधिक में लगी हुई है;

(घ) अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी के दो या अधिक निदेशकों द्वारा यह घोषणा जो यह प्रमाणित करे कि खंड (क) से खंड (ग) में दी गई विशिष्टियां सही हैं।

(3) जब कोई अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी एक उत्पादक कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत होती है तब “उत्पादक कंपनी लिमिटेड” शब्द किसी शब्द या अभिव्यक्ति जो इसके पूर्व की पहचान दर्शाएँ, के साथ उसके नाम का एक भाग गठित करेगा।

(4) उपधारा (1) से (3) की अपेक्षाओं के अनुपालन पर रजिस्ट्रार, आवेदन की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी जो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर रही है वह रजिस्ट्रीकृत है और इसके द्वारा इस अध्याय के अधीन एक उत्पादक कंपनी के रूप में निगमित है।

(5) कोई सहकारी सोसाइटी जो उत्पादकों द्वारा, उत्पादकों के सहकारी सोसाइटियों के संघ या परिसंघ द्वारा या उत्पादकों के सहकारिताओं द्वारा बनाई गई है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है जिसने इसके उद्देश्यों को राज्य के बाहर विस्तारित किया है, यथास्थिति या तो प्रत्यक्ष रूप से या सहकारिताओं जिससे यह गठित है, के परिसंघ या संघ के माध्यम से और ऐसी सहकारिताओं के किसी संघ या परिसंघ जिसने अपने उद्देश्यों या क्रियाकलापों को इस प्रकार राज्य के बाहर विस्तारित किया है, उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने के और इस अध्याय के अधीन उत्पादक कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(6) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण होने पर अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी एक उत्पादक कंपनी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और तत्पश्चात्, जहां तक उत्पादक कंपनी के रूप में इसके रजिस्ट्रीकरण के पूर्व किए गए या करने में लोप किए गए किसी बात के सिवाय, जिस विधि से यह पहले शासित थी उसको अपवर्जित करते हुए इस अध्याय के उपबंधों द्वारा शासित होगी, और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति के पास ऐसे परिवर्तन या संपरिवर्तन के कारण सहकारी संस्था या कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा।

(7) उत्पादक कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण होने पर, कंपनी रजिस्ट्रार, जो कंपनी को रजिस्ट्रीकृत करता है उस रजिस्ट्रार को जिसके पास तत्कालीन अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी पहले रजिस्ट्रीकृत थी, उसके रजिस्ट्रर से सोसाइटी को हटाने के लिए तुरंत सूचित करेगा।

378ट. उत्पादक कंपनी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् परिवर्तन की तारीख के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के तुरन्त पूर्व अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी का प्रत्येक शेयर धारक उत्पादक कंपनी को उस तारीख को और ऐसे शेयर धारक द्वारा धारित शेरयों के अंकित मूल्य के विस्तार तक उत्पादक कंपनी के शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा।

उत्पादक कंपनी के निगमन का प्रभाव।

378ठ. (1) अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी की परिवर्तन की तारीख पर सभी संपत्तियां और अस्तियां, जंगम और स्थावर या उससे संबंधित माल-असबाब उत्पादक कंपनी में निहित हो जाएंगी।

उत्पादक कंपनी के उपकरणों का निहित होना।

(2) अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी के परिवर्तन की तारीख पर सभी अधिकार, ऋण, देयताएँ, हित, विशेषाधिकार और बाध्यताएँ उत्पादक कंपनी को अंतरित हो जाएंगे, और अधिकार ऋण दायित्व, हित विशेषाधिकार और बाध्यताएँ उत्पादक कंपनी के होंगे।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सभी ऋण, उपगत दायित्व और बाध्यताएँ, की गई सभी संविदाएँ और सभी विषय तथा बातें जो सोसाइटी के साथ, द्वारा या के लिए परिवर्तन की तारीख पर की गई है या उसके प्रयोजनों से संबंधित है उस उत्पादक कंपनी के द्वारा, साथ या के लिए उपगत की गई या विनियुक्त समझी जाएंगी।

(4) अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी को सभी धन जो परिवर्तन की तारीख के तुरंत पूर्व शोध्य थों, उत्पादक कंपनी को शोध्य समझी जाएंगी।

(5) प्रत्येक संगठन का, जिसका परिवर्तन की तारीख के तुरन्त पूर्व अन्तरराज्यीय सहाकारी सोसाइटी द्वारा प्रबंध किया जा रहा था ऐसी अवधि के लिए, ऐसे विस्तार तक और ऐसी रीति से जैसी परिस्थितियां अपेक्षा करे, उत्पादक कंपनी द्वारा प्रबंध किया जाएगा।

(6) प्रत्येक संगठन को जिसे अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी से परिवर्तन की तारीख के तुरंत पूर्व वित्तीय, प्रबंधकीय या तकनीकी सहायता मिल रही थी यथास्थिति, ऐसी अवधि के लिए, ऐसे विस्तार तक और ऐसी रीति से जिसे कंपनी ठीक समझे उत्पादक कंपनी द्वारा वित्तीय, प्रबंधकीय या तकनीकी सहायता दिया जाना जारी रहे सकेगा।

(7) वह रकम जो तत्कालीन अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी की पूँजी का प्रतिनिधित्व कर रही थी उत्पादक कंपनी की पूँजी का भाग गठित करेगी।

(8) अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी को इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखत में कोई निर्देश उत्पादक कंपनी को निर्देश किया गया समझा जाएगा।

(9) यदि, परिवर्तन की तारीख पर अन्तरराज्यीय सहाकारी सोसाइटी के द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, माध्यस्थम्, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही चाहे जिस प्रकृति की हो, लंबित है तो वह यथास्थिति, धारा 378ज के अधीन उत्पादक कंपनी के रूप में अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी का परिवर्तन या धारा 378ग के अधीन उत्पादक कंपनी के निगमन के कारण किसी भी रूप में प्रतिकूल रूप से प्रभाव नहीं डालेगी या उसका उपशमन नहीं होगा, बंद नहीं होगी, किन्तु उत्पादक कंपनी के विरुद्ध या द्वारा कोई वाद, माध्यस्थम्, अपील या अन्य कार्यवाही उसी रीति से उसी विस्तार तक जारी, अभियोजित और प्रवर्तित रह सकेगी जैसे यदि इस अध्याय में अंतर्विष्ट उपबंध प्रवृत्त नहीं होते तो यह अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी के विरुद्ध या द्वारा जारी रहती, अभियोजित और प्रवर्तित रहती।

378ड. परिवर्तन की तारीख से प्रभावी, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी के कारबार और मामलों के संबंध में अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी को अनुदत्त सभी राज्यकोषीय और अन्य रियायतें, अनुज्ञाप्तियां, फायदे, विशेषाधिकार और छूटें, उत्पादक कंपनी को अनुदत्त की हुई समझी जाएंगी।

उत्पादक कंपनी को रियायत, आदि का दिया हुआ समझा जाना।

अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के संबंध में उपबंध।

378८. (१) धारा 378ए में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उत्पादक कंपनी के निगमन के पूर्व अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी के सभी निदेशक परिवर्तन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने पद पर बने रहेंगे।

(२) अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक अधिकारी और अन्य कर्मचारी (बोर्ड के निदेशक, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक के सिवाय) जो इसके परिवर्तन से तुरन्त पूर्व इसके नियोजन में सेवारत हैं, जहां तक ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी के संबंध में नियोजित हैं जो कि इस अधिनियम के कारण उत्पादक कंपनी में निहित हो गई है, यथास्थिति, परिवर्तन से, उत्पादक कंपनी के अधिकारी या अन्य कर्मचारी होंगे और उसमें तब तक पद धारण करेंगे या उसी अवधि तक सेवा में, और उसी पारिश्रमिक पर, उन्हीं शर्तों और निबंधनों तथा उन्हीं बाध्यताओं के साथ और छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत, कल्याण स्कीम, चिकित्सा फायदा स्कीम, बीमा, भविष्य निधि, अन्य निधियों, सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, उपदान और अन्य फायदों के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार रखेंगे जो ये तत्कालीन अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी में धारण करते हों, यदि यह उपक्रम, उत्पादक कंपनी में निहित नहीं हुई होती और यथास्थिति अधिकारी या उत्पादक कंपनी के अन्य कर्मचारी के रूप में ऐसा करना जारी रखेंगे।

(३) जहां उपधारा (२) के अधीन अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी या कर्मचारी उत्पादक कंपनी के नियोजन या सेवा में न रहने का विकल्प चुनता है, वहां ऐसा अधिकारी या कर्मचारी त्यागपत्र दिया हुआ समझा जाएगा।

(४) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की सेवाओं का उत्पादक कंपनी में अंतरण, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा, और कोई ऐसा दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा गृहीत नहीं किया जाएगा।

1947 का 14

(५) अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो परिवर्तन से पूर्व अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है और किन्हीं फायदों, अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार है, वह उत्पादक कंपनी से उन्हीं फायदों, अधिकारों और विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होगा।

(६) अधिकारियों या कर्मचारियों के कल्याण के लिए सूचित किन्हीं अन्य निकायों और अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी की उपदान निधि या भविष्य निधि के न्याय, उत्पादक कंपनी में उसी प्रकार से अपने कृत्यों का निर्वहन करते रहेंगे जैसे वे उस अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी में कर रहे थे और कोई कर छूट जो भविष्य निधि या उपदान निधि को अनुदत्त की गई थी, उत्पादक कंपनी को लागू रहना जारी रहेगी।

(७) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी के विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड का निदेशक, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या अन्य व्यक्ति जो अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी के कारबार और मामलों को संपूर्ण रूप से या सारवान् रूप से प्रबंध करने का हकदार है, वह पद की हानि या किसी ऐसी प्रबंध संविदा के समय पूर्व भंग होने के लिए जो उसने अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी के साथ किया था, अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी या उत्पादक कंपनी के विरुद्ध किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

भाग ३

उत्पादक कंपनी का प्रबंध

निदेशकों की संख्या।

378ए. प्रत्येक उत्पादक कंपनी में कम से कम पांच और पंद्रह से अनधिक निदेशक होंगे:

परन्तु किसी अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी जो एक उत्पादक कंपनी के रूप में निगमित हुई है की दशा में, ऐसी कंपनी में, उत्पादक कंपनी के रूप में इसके निगमन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पंद्रह से अधिक निदेशक हो सकेंगे।

निदेशकों की नियुक्ति।

378त. (१) धारा 378ठ में यथा उपबंधित के सिवाय, वे सदस्य जिन्होंने ज्ञापन और अनुच्छेदों को हस्ताक्षारित किया है उसमें कम से कम पांच निदेशक-मंडल को पदाधित कर सकेंगे, जो उत्पादक कंपनी के

मामलों को तब तक शासित करेंगे जब तक इस धारा के उपबंधों के अनुसार निदेशक निर्वाचित नहीं हो जाते।

(2) उत्पादक कंपनी के रजिस्ट्रीकरण से नब्बे दिन की अवधि के भीतर निदेशकों का निर्वाचन संचालित किया जाएगा:

परन्तु किसी अन्तरराज्यीय सहकारी सोसाइटी की दशा में जो धारा 378ज की उपधारा (4) के अधीन एक उत्पादक कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत की गई है, जिसमें कम से कम पांच निदेशक [जिसके अंतर्गत धारा 378द की उपधारा (1) के अधीन पद पर बने रहने वाले निदेशक भी हैं] ऐसी कंपनी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख को पद धारण करते हैं, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानों “नब्बे दिन” शब्दों के स्थान पर “तीन सौ पैसठ दिन” शब्द रखे गए हैं।

(3) प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक वर्ष किन्तु पांच वर्ष से अनधिक, जो अनुच्छेदों में विनिर्दिष्ट किया जाए, की अवधि के लिए निदेशक का पद धारण करेगा।

(4) प्रत्येक निदेशक, जो अनुच्छेदों के अनुसार सेवानिवृत होता है, वह निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त का पात्र होगा।

(5) उपधारा (2) में यथा उपबंधित के सिवाय, वार्षिक साधारण अधिवेशन में सदस्यों द्वारा बोर्ड के निदेशकों को निर्वाचित किया जाएगा या नियुक्त की जाएगी।

(6) बोर्ड, निदेशकों की कुल संख्या का 1/5 से अनधिक एक या अधिक विशेषज्ञ निदेशकों या अतिरिक्त निदेशक सहयोगित कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति को अतिरिक्त निदेशक के रूप में ऐसी अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगा, जैसा बोर्ड ठीक समझे:

परन्तु विशेषज्ञ निदेशकों को अध्यक्ष के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होगा किन्तु अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के पात्र होंगे, यदि इसके अनुच्छेदों द्वारा ऐसा उपबंध किया गया है:

परन्तु यह और कि वह अधिकतम अवधि जिसके लिए विशेषज्ञ निदेशक या अतिरिक्त निदेशक पदधारण करते हैं, ऐसी अवधि जैसी अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट है, से अधिक नहीं होगी।

378थ. (1) उत्पादक कम्पनी के निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा, यदि—

निदेशकों द्वारा पद रिक्त किया जाना।

(क) उसे किसी न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता है और उसके संबंध में कम से कम छह मास के कारावास से दंडादिष्ट किया गया हो, अंतर्वलित है;

(ख) उत्पादक कम्पनी जिसमें वह निदेशक है, किसी अन्य कम्पनी या संस्था या कोई अन्य व्यक्ति से कोई अग्रिम या ऋण लिया है, के पुनः भुगतान का व्यतिक्रम करता है और ऐसा व्यतिक्रम नब्बे दिनों के लिए निरन्तर रहता है;

(ग) वह उत्पादक कम्पनी, जिसमें वह एक निदेशक है, से लिए गए किसी अग्रिम या ऋणों के प्रतिसंदाय का व्यतिक्रम करता है;

(घ) उत्पादक कम्पनी, जिसमें वह निदेशक है जो,—

(i) किसी निरन्तर तीन वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक लेखे और वार्षिक विवरणी फाइल नहीं किया है; या

(ii) उस पर उस तारीख तक उसके निष्क्रेप या विधारित मूल्य या प्रश्रय बोनस या ब्याज, या लाभांश के भुगतान करने में असफल रहता है और ऐसी असफलता निरन्तर एक वर्ष या उससे ज्यादा तक बनी रहती है;

(ङ) इस अधिनियम और अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार, उत्पादक कम्पनी जिसमें वह एक निदेशक है में, निदेशक के पद के निर्वाचन में व्यतिक्रम करता है;

(च) प्राकृतिक विपत्ति के कारण या ऐसे अन्य कारणों को छोड़कर इस अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार उत्पादक कम्पनी, जिसमें वह एक निदेशक है का वार्षिक साधारण अधिवेशन या असाधारण अधिवेशन नहीं बुलाता है।

(2) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, उत्पादक संस्था जो कि उत्पादक कम्पनी की सदस्य है को लागू होंगे।

बोर्ड की शक्ति 378द. (1) इस अधिनियम और अनुच्छेद के उपबंधों के अध्यधीन, उत्पादक कम्पनी के बोर्ड निदेशक और कृत्य। ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्यों और बातों को करेगा, जिन्हें करने के लिए कम्पनी प्राधिकृत है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी या निम्नलिखित मामलों की ऐसी शक्तियां सम्मिलित की जा सकती हैं, अर्थात्:—

(क) लाभांश संदेय का अवधारण करना;

(ख) साधारण अधिवेशन या विधारित मूल्य और सिफारिश किए गए प्रश्रय की मात्रा के अनुमोदन का अवधारण करना;

(ग) नए सदस्यों का प्रवेश;

(घ) संगठनात्मक नीति, उद्देश्यों, दीर्घ अवधि विनिर्दिष्ट स्थापन और वार्षिक उद्देश्यों का अनुसरण करना और बनाना तथा कारपोरेट रणनीतियों और वित्तीय योजनाओं का अनुमोदन करना;

(ङ) अनुच्छेद में यथाविनिर्दिष्ट, उत्पादक कम्पनी के मुख्य कार्यकारी और ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करना;

(च) इसके द्वारा मुख्य कार्यपालक और अन्य अधिकारियों पर अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करना;

(छ) उचित लेखा बहियों का रखरखाव करना, संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ वार्षिक साधारण अधिवेशन में रखा जाना और विशेषताओं पर उत्तर, यदि कोई हो, संपरीक्षक द्वारा दिए जाएंगे;

(ज) उसके कारबार के साधारण अनुक्रम में उत्पादक कम्पनी की संपत्ति का अर्जन या निपटान करना;

(झ) उसके कारबार के साधारण अनुक्रम में उत्पादक कम्पनी की निधियों का विनिवेश करना;

(ञ) किसी सदस्य, जो कि निदेशक या उसका रिस्टेदार नहीं हैं को उत्पादक कम्पनी के साथ कारबार क्रियाकलापों के संबंध में किसी उधार या अग्रिम को जारी करना;

(ट) उसके कृत्यों के निर्वहन में या उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यथा अपेक्षित ऐसे अन्य उपायों या ऐसी अन्य कार्रवाइयां कर लेना।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी शक्तियां उत्पादक कम्पनी की ओर से उसके अधिवेशन पर पारित संकल्प के द्वारा बोर्ड द्वारा प्रयोग की जाएंगी।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को हटाने लिए यह घोषित किया जाता है कि निदेशक या निदेशकों का समूह, जिसने बोर्ड का गठन नहीं किया है, उनके द्वारा किसी भी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

साधारण बैठक में 378ध. उत्पादक कम्पनी के बोर्ड निदेशक उस कम्पनी की ओर से निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेंगे, और यह केवल ऐसा, उसके सदस्यों की वार्षिक साधारण अधिवेशन पर पारित संकल्पों के द्वारा करेंगे, अर्थात्:— वाले मामले।

(क) बजट का अनुमोदन और उत्पादक कम्पनी के वार्षिक लेखों का अंगीकृत करना;

(ख) प्रश्रय बोनस का अनुमोदन करना;

(ग) बोनस शेयरों को जारी करना;

- (घ) सीमित विवरणी की घोषणा और प्रश्रय के वितरण पर निर्णय लेना;
- (ङ) बोर्ड द्वारा किसी भी निदेशक को दिए जा सकने वाले ऋणों की शर्तों और सीमाओं को विनिर्दिष्ट करना; और
- (च) सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए अनुच्छेद में आरक्षित प्रकृति के किसी संव्यवहार का अनुमोदन करना।

378N. (1) इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त विधि या अनुच्छेदों के उल्लंघन में की गई किसी बात को जब निदेशक संकल्प के लिए मत या किसी अन्य साधन द्वारा अनुमोदित करते हैं। निदेशकों का दायित्व।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्पादक कम्पनी अपने निदेशक से वसूली का अधिकार रखेगी—

- (क) जहां ऐसे निदेशक ने उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उल्लंघन के परिणामस्वरूप कोई लाभ कमाया है उस कमाए गए लाभ की बराबर कोई राशि का होगा;
- (ख) जहां उत्पादक कम्पनी को उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उल्लंघन के परिणामस्वरूप हानि या नुकसान होता है तो वह हानि या नुकसान उस राशि के बराबर होगा।
- (3) इस धारा के अधीन अधिरोपित दायित्व के अतिरिक्त होगी और इस अधिनियम या कोई अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन निदेशक पर अधिरोपित दायित्व के अल्पीकरण में नहीं होगा।

378P. (1) बोर्ड जैसा वह उचित समझे अपने कृत्यों के पर्याप्त निर्वहन में बोर्ड को सहायता करने के प्रयोजन के लिए ऐसी समितियों की संख्या को गठित कर सकेगा: निदेशकों की समिति।

परन्तु बोर्ड किसी समिति को अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित नहीं करेगा या मुख्य कार्यपालक को शक्तियों को नहीं सौंपेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन एक समिति बोर्ड के अनुमोदन से गठित की जा सकेगी, समिति के सदस्यों के रूप में जैसा उचित हो ऐसे व्यक्तियों की संख्या को सहयोजित किया जा सकेगा:

परन्तु धारा 378ब के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक या उत्पादक कम्पनी का निदेशक ऐसी समिति का सदस्य होगा।

(3) प्रत्येक ऐसी समिति, बोर्ड के साधारण अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ऐसी अवधि के लिए और रीति से जैसा बोर्ड द्वारा निर्देशित किया जाए, कार्य करेगी।

(4) फीस और भत्ते समिति को, जैसे बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए, संदर्भ किए जाएंगे।

(5) समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त बोर्ड के सामने उसके अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे।

378फ. (1) बोर्ड का अधिवेशन प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार और प्रत्येक वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित किया जाएगा। बोर्ड का अधिवेशन और गणपूर्ति।

(2) निदेशक बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की सूचना प्रत्येक निदेशक को भारत में होने के समय और प्रत्येक अन्य निदेशक को भारत में साधारण पते पर लिखित में दी जाएगी।

(3) मुख्य कार्यपालक, बोर्ड के अधिवेशन की तारीख से पूर्व, जो सात दिन से कम न हो, यथापूर्व सूचना देगा और यदि ऐसा करने में असफल होता है तो वह पांच हजार रुपए की शास्ति से दायी होगा:

परन्तु बोर्ड की बैठक अल्पकालिक सूचना पर बुलाई जा सकेगी और उसके कारण बोर्ड द्वारा लिखित में रिकार्ड किए जाएंगे।

(4) कम से कम तीन के अध्यधीन बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या की एक-तिहाई होगी।

(5) अनुच्छेदों में उपबंधित के सिवाय, निदेशक जिसमें सहयोजित निदेशक भी सम्मिलित हैं, को बोर्ड के अधिवेशन में उपस्थिति के लिए ऐसी फीस और भत्ते संदत्त किए जा सकेंगे, जैसे साधारण अधिवेशन सदस्यों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

मुख्य अधिशासक 378ब. (1) प्रत्येक उत्पादक कंपनी एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक रखेगी, चाहे उसे किसी भी नाम और उसके कार्य से पुकारा जाता हो, और बोर्ड द्वारा सदस्यों के सिवाय व्यक्तियों के बीच से नियुक्त करेगी।

(2) मुख्य कार्यपालक बोर्ड का पदेन निदेशक होगा और ऐसा निदेशक चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होगा।

(3) इस अनुच्छेद में अन्यथा उपबंधित के सिवाय मुख्य कार्यपालक की अहंता, अनुभव और सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसा बोर्ड के द्वारा विनिश्चित की जाए।

(4) मुख्य कार्यपालक प्रबंध की ऐसी सारबान् शक्ति के साथ न्यस्त होगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(5) उपधारा (4) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य कार्यपालक शक्तियों का उपयोग और कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) नैत्यिक स्वरूपी के प्रशासनिक कार्य करना जिसके अन्तर्गत उत्पादक कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंध करना भी शामिल हैं;

(ख) बैंक खातों का प्रचालन या बोर्ड के साधारणतया विशेष अनुमोदन के अध्यधीन कोई अधिकृत व्यक्ति बैंक खातों का प्रचालन इस निमित्त कर सकेगा;

(ग) उत्पादक कंपनी के नकद की सुरक्षित अभिरक्षा और अन्य आस्तियों के लिए प्रबंध करना;

(घ) ऐसे दस्तावेजों को, जैसे बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाए, कंपनी के लिए और इसके निमित्त हस्ताक्षरित करना;

(ङ) उचित लेखा बहियों को रखना, वार्षिक खातों को तैयार करना और उसकी संपरीक्षा करना, व संपरीक्षित खातों को बोर्ड के और सदस्यों को वार्षिक साधारण अधिवेशन में उनके समक्ष रखना;

(च) उत्पादक कंपनी के प्रचालन और कृत्यों से उन्हें अवगत कराने के लिए आवधिक सूचना सदस्यों को देना;

(छ) बोर्ड द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित की गई शक्तियों के अनुसार पद पर नियुक्तियां करना;

(ज) लक्ष्यों, उद्देश्यों, रणनीति, योजना और पालिसियों की विनिर्मित कराने में बोर्ड की सहायता करना;

(झ) बोर्ड को, विधिक और प्रस्ताव से संबंधित विनियामक मामलों और किए जा रहे क्रियाकलापों और उनके संबंध में की गई आवश्यक कार्यवाही के संबंध में, सलाह देना;

(ञ) शक्तियों का उपयोग जैसा कारबार के सामान्य अनुक्रम में आवश्यक हो;

(ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का उपयोग करना जैसा बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित की जाए।

(6) मुख्य कार्यपालक, बोर्ड के साधारण अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण के अधीन उत्पादक कंपनी के कार्यों का प्रबंध करेगा और उत्पादक कंपनी के किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।

उत्पादक कंपनी का 378भ. (1) प्रत्येक उत्पादक कंपनी जो पांच करोड़ रुपए से अधिक औसत वार्षिक व्यापारार्वत या कोई अन्य राशि जैसी तीन क्रमवर्ती वित्तीय वर्षों में विहित किया जाए रखती है, एक पूर्ण कालिक सचिव अधिनियम, 1980 का 56

(2) कोई व्यक्ति पूर्णकालिक सचिव नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अधीन गठित कंपनी सचिव संस्थान की सदस्यता न रखता हो।

(3) यदि उत्पादक कंपनी उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जिसने व्यतिक्रम किया है, अधिकतम एक लाख रुपए के अध्यधीन प्रत्येक दिन के लिए जिसमें व्यतिक्रम जारी रहता है एक सौ रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा:

परंतु इस उपधारा के अधीन व्यतिक्रम के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी कार्यवाही में कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी यदि यह प्रतीत होता है कि उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने के सभी युक्तियुक्त प्रयास किए गए थे या कंपनी की वित्तीय स्थिति ऐसी थी कि पूर्णकालिक सचिव रखना उसकी क्षमता से बाहर था।

378म. जब तक अधिक संख्या अनुच्छेद में अपेक्षित न हो, साधारण अधिवेशन को जारी रखने के लिए गणपूर्ति। गणपूर्ति कुल सदस्यों की चौथाई होगी।

378य. धारा 378घ की उपधारा (1) और उपधारा (3) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक सदस्य मताधिकार। एक मत रखेगा और मत के बराबर होने के मामले में अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति अध्यक्ष के निर्वाचन के मामले के सिवाय एक मत देगा।

भाग 4

साधारण अधिवेशन

378यक. (1) प्रत्येक उत्पादक कंपनी प्रत्येक वर्ष किसी अन्य अधिवेशन के अतिरिक्त अपने वार्षिक साधारण अधिवेशन के रूप में एक साधारण अधिवेशन आयोजित करेगी और उसके बुलाने की सूचना में वैसे ही अधिवेशन को विनिर्दिष्ट करेगी और उत्पादक कंपनी के एक वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख और उसके अगले अधिवेशन की बीच पंद्रह मास से अधिक का अंतराल नहीं होगा:

परन्तु रजिस्ट्रार किसी विशेष कारण से किसी वार्षिक साधारण अधिवेशन (पहला वार्षिक अधिवेशन न हों) को आयोजित करने के लिए समय को विस्तारित करने की अनुमति दे सकेगा परन्तु यह अवधि तीन मासों से अधिक नहीं होगी।

(2) एक उत्पादक कंपनी अपने निगमन की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अपना पहला वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित करेगी।

(3) सदस्य उत्पादक कंपनी के अनुच्छेदों को अंगीकृत करेंगे और वार्षिक साधारण अधिवेशन में अपने बोर्ड के निदेशकों को नियुक्त करेंगे।

(4) वार्षिक साधारण अधिवेशन बुलाने की नोटीस के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा अर्थात्:—

(क) वार्षिक साधारण अधिवेशन की कार्यसूची;

(ख) पूर्ववर्ती वार्षिक साधारण अधिवेशन या असामान्य साधारण अधिवेशन के कार्यवृत्त;

(ग) कार्यालय निदेशक के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के नाम यदि कोई हों जिसके अंतर्गत प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में अर्हता का विवरण भी सम्मिलित है;

(घ) उत्पादक कंपनी और उसकी सहायक यदि कोई हो, संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ-हानि का लेखा निम्नलिखित के संबंध में उक्त कंपनी के निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट के साथ होगी:—

(i) उत्पादक कंपनी की कार्यकलाप की स्थिति;

(ii) आरक्षित की गई प्रस्तावित राशि;

(iii) शेयर पूँजी से सीमित रूप से संदत्त की जाने वाली राशि;

(iv) प्रतिश्रय बोनस के रूप में संवितरित की गई प्रस्तावित राशि;

(v) उत्पादक कंपनी और उसकी सहायक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली तात्त्विक तबदीलिया और प्रतिबद्धता यदि कोई हों, जो उत्पादक कम्पनी जिससे तुलनपत्र संबंधित है, के वार्षिक लेखा की तारीख और बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई है;

(vi) ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरणीय संरक्षण, विदेशी विनिमय से व्यय या उपार्जन से संबंधी महत्व के अन्य मामले;

(vii) कोई अन्य मामले जो अपेक्षित हो या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए;

(ङ) लेखा परीक्षक को नियुक्त करने के लिए संकल्प प्रारूप का पाठ;

(च) किसी प्रारूप संकल्प का पाठ जिसके ज्ञापन या अनुच्छेदों को संशोधन करने के प्रस्ताव पर बोर्ड की सिफारिश के साथ साधारण अधिवेशन में विचार किया गया है।

(5) निदेशक बोर्ड किसी साधारण अधिवेशन में मत देने के हकदार एक-तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित सम्पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित और विचारार्थ विषयों हेतु की गई अध्ययेक्षा पर अध्याय 7 में अंतर्विष्ट सुसंगत उपबंधों के अनुसार असामान्य साधारण अधिवेशन बुलाने के लिए अग्रसर हो।

(6) प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन कारबार के घन्टों, उस दिन जब सार्वजनिक अवकाश न हो पर बुलाया जाएगा और उत्पादक कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर या शहर, कस्बा या गांव जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है किसी अन्य स्थान पर आयोजित किया जाएगा।

(7) उत्पादक कंपनी का एक साधारण अधिवेशन लिखित में कम से कम चौदह दिन का पूर्व नोटिस दे कर बुलाया जाएगा।

(8) साधारण अधिवेशन के नोटिस में तारीख, समय और स्थान उपदर्शित किया जाएगा और उत्पादक कंपनी के प्रत्येक सदस्य और लेखा परीक्षक को भेजा जाएगा।

(9) जब तक उत्पादक कंपनी के अनुच्छेद में अधिक संख्या के लिए उपबंध न हो उत्पादक कंपनी के सदस्यों की कुल संख्या का एक-चौथाई उसके वार्षिक साधारण अधिवेशन के लिए गणपूर्ति होगी।

(10) निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट के साथ प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन की प्रक्रिया, संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ और हानि का लेखा, उस तारीख से जिसको वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित किया गया है से साठ दिनों के भीतर, इस अधिनियम के अधीन यथा लागू फाइल की गई फीस के साथ वार्षिक विवरणी सहित रजिस्ट्रार को दी जाएगी।

(11) उस दशा में, जहां कोई उत्पादक कंपनी उत्पादक संस्थाओं द्वारा बनाई गई है, ऐसी संस्थाओं का साधारण निकाय में, उसके अध्यक्ष या मुख्य अधिशासक के माध्यम से, जो इस निमित्त कार्य करने के लिए सक्षम होंगे, प्रतिनिधित्व किया जाएगा:

परन्तु किसी उत्पादक संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा यदि ऐसी संस्था धारा 378थ की उपधारा (1) के खंड (घ) से (च) तक में निर्दिष्ट व्यतिक्रम में है या असफल है।

भाग 5

शेयर पूँजी और सदस्यों के अधिकार

शेयर पूँजी।

378यख. (1) उत्पादक कंपनी की शेयर पूँजी केवल सामान शेयरों से गठित होगी।

(2) उपधारा कंपनी में किसी सदस्य द्वारा धारित किए गए शेयर, जहां तक हो सके, उस कंपनी प्रतिश्रय के अनुपात में होंगे।

378यग. (1) उत्पादक, जो सक्रिय सदस्य है यदि अनुच्छेद में ऐसा उपबंधित किया गया है वह विशेष अधिकार रखेगा और उत्पादक कंपनी ऐसे विशेष अधिकार के संबंध में उसे समुचित लिखत जारी कर सकेगी। विशेष उपयोक्ता के अधिकार।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए उत्पादक कंपनी के लिखत इस निमित बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् उस उत्पादक कंपनी के किसी अन्य सक्रिय सदस्य को अंतरणीय होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए “विशेष अधिकार” अभिव्यक्ति से सक्रिय सदस्य द्वारा अतिरिक्त उत्पादन प्रदाय के संबंध में कोई अधिकार या उसके उत्पादन के संबंध में कोई अन्य अधिकार, जो बोर्ड द्वारा उसे प्रदत्त किया जा सके, अभिप्रेत है।

378यघ. (1) उपधारा (2) से उपधारा (4) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय उत्पादक कंपनी के सदस्यों के शेयर अंतरणीय नहीं होंगे। शेयरों की अंतरणीयता और परिचारक के अधिकार।

(2) उत्पादक कंपनी के सदस्य बोर्ड से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किसी विशेष अधिकार सहित अपने शेयरों को संपूर्ण रूप से या भाग रूप से किसी सक्रिय सदस्य को उसकी मूल्य के अनुसार अंतरण कर सकेंगे।

(3) प्रत्येक सदस्य, उसके उत्पादक कंपनी में सदस्य बनने के तीन मास के भीतर, उस व्यक्ति को, जिसको उसकी मृत्यु की दशा में उत्पादक कंपनी में उसके शेयर निहित होंगे, अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट रीति से नामनिर्दिष्ट करेगा।

(4) नामनिर्देशिती सदस्य की मृत्यु पर उत्पादक कंपनी के शेयरों में सभी अधिकारों का हकदार होगा और उस कंपनी का बोर्ड उसके नामनिर्देशिती को मृतक सदस्य के शेयरों का अंतरण करेगा:

परंतु उस मामले में, जहां ऐसा नामिती उत्पादक नहीं है, विशेष अधिकारों सहित शेयरों को, यदि कोई हों, उत्पादक कंपनी मूल्य के अनुसार या ऐसे अन्य मूल्य पर, जैसा बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए, को अभ्यर्पण करने का निदेश दे सकेगी।

(5) जहां उत्पादक कंपनी के बोर्ड की राय है कि,—

(क) कोई सदस्य प्राथमिक उत्पादक नहीं रह गया है; या

(ख) कोई सदस्य अनुच्छेद में यथाविनिर्दिष्ट किसी सदस्य होने की अपनी अर्हताएं धारित करने में असफल हो गया है,

तो बोर्ड विशेष अधिकारों सहित, यदि कोई हों, उत्पादक कंपनी को मूल्यानुसार या ऐसे मूल्य पर, जैसा बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए, शेयरों को अभ्यर्पण कर सकेगा:

परंतु बोर्ड शेयरों के ऐसे अभ्यर्पण का निदेश नहीं देगा जब तक सदस्य को लिखित में नोटिस और सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

अध्याय 6

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

378यड. (1) प्रत्येक उत्पादक कंपनी निम्न के संबंध में उचित लेखा बहियों को अपने रजिस्ट्रीकृत लेखा बहियां। कार्यालय में रखेगी,—

(क) उत्पादक कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए और व्यय की गई सभी धनराशियां और वे मामले, जिनके संबंध में प्राप्तियां और व्यय होता है;

(ख) उत्पादक कंपनी द्वारा माल के सभी विक्रय और क्रय;

(ग) उत्पादक कंपनी द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए दायित्व के लिखत;

(घ) उत्पादक कंपनी की आस्तियां और दायित्व;

(ङ) उत्पादक कंपनी की दशा में उत्पादन, प्रक्रिया और विनिर्माण सामग्रियां या श्रम या लागत के अन्य मद के उपयोग के संबंध में लगाई गई विशिष्टियां।

(२) उत्पादक कंपनी के तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखे, जहां तक संभव हो, धारा 129 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तैयार किए जाएंगे।

आंतरिक संपरीक्षा। 378यच. प्रत्येक उत्पादक कंपनी जारी किए गए अपने लेखे की आंतरिक संपरीक्षा ऐसे अंतरालों और ऐसी रीति से जैसा अनुच्छेदों में विनिर्दिष्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (१) के खंड 1949 का 38 (ख) में यथापरिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कराएंगी।

इस अध्याय के अधीन लेखापरीक्षक के कर्तव्य। 378यछ. धारा 143 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लेखा परीक्षक निम्नलिखित अतिरिक्त मामलों के संबंध में रिपोर्ट उत्पादक कंपनी को देगा, अर्थात्:—

- (क) डूबे ऋणों की विशिष्टियों के साथ देय प्रत्यय की रकम, यदि कोई हो;
- (ख) नकद अतिशेष और प्रतिभूतियों के सत्यापन;
- (ग) अस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे;
- (घ) सभी संव्यवहार, जो इस अध्याय के उपबंधों के प्रतिकूल प्रतीत हों;
- (ङ) निदेशकों को उत्पादक कंपनी द्वारा दिए गए ऋण;
- (च) उत्पादक कंपनी द्वारा दिए गए संदान या अभिदान;
- (छ) अन्य मामले, जैसे संपरीक्षक द्वारा आवश्यक रूप से विचारित किए जाएं।

उत्पादक कंपनी द्वारा संदान या अभिदान। 378यज. कोई उत्पादक कंपनी किसी संस्था या व्यक्ति को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए,—

(क) उत्पादक सदस्य या उत्पादक या साधारणजन के सामाजिक और आर्थिक कल्याण का संवर्धन; या

- (ख) पारस्परिक सहायता सिद्धांतों के संवर्धन के लिए,

संदान या अभिदान कर सकेगी:

परंतु किसी वित्तीय वर्ष में सभी ऐसे संदान और अभिदान की कुल धनराशि उस वर्ष, जिसमें संदान या अभिदान किया गया है, से ठीक पूर्व के वित्त वर्ष में उत्पादक कंपनी के कुल लाभ के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि कोई उत्पादक कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी राजनैतिक पार्टी या किसी राजनैतिक उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति को कोई अंशदान या अभिदान या किसी सुविधा को, जिसके अंतर्गत कार्मिक या तात्त्विक भी सम्मिलित है, को प्राप्त करने के लिए नहीं करेगी।

साधारण और अन्य आरक्षित। 378यझ. (१) प्रत्येक उत्पादक कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी साधारण आरक्षिती को, जो अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किए जाए किसी आरक्षिती के अतिरिक्त होंगे, रखेगी।

(२) उस दशा में, जहां उत्पादक कंपनी के पास किसी वित्त वर्ष में अनुच्छेदों में यथाविनिर्दिष्ट आरक्षिती रखने हेतु अंतरण के लिए पर्याप्त निधि नहीं है वहां आरक्षिती के अंशदान उस वर्ष में उस कंपनी के कारबार में उनके प्रश्रय के अनुपात में सदस्यों को वितरित किए जाएंगे।

बोनस शेयरों का निर्गमन। 378यज. कोई उत्पादक कंपनी बोर्ड की सिफारिश पर साधारण अधिवेशन में, पास किए गए संकल्प पर ऐसे शेयरों के निर्गमन की तारीख पर, सदस्यों द्वारा धारित किए गए अनुपात में धारा 378यझ में निर्दिष्ट साधारण आरक्षितियों से रकम के पूँजीकरण द्वारा बोनस शेयरों का निर्गमन कर सकेगी।

भाग 7

सदस्यों को ऋण और विनिधान

सदस्यों को ऋण आदि। 378यट. अनुच्छेद में बनाए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड, उत्पादक कम्पनी के सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के तौर पर,—

(क) छह मास से अनधिक के लिए उत्पादक कम्पनी के बार-बार के संबंध में किसी सदस्यों को उधार सुविधा;

(ख) किसी सदस्य को अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति के विरुद्ध ऋण और अग्रिम, ऐसे ऋण या अग्रिमों के वितरण की तारीख से तीन मास से अधिक अवधि के भीतर किन्तु सात वर्ष से अनधिक पर प्रतिसंदेय होंगे:

परन्तु किसी निदेशक या उसके नातेदार को कोई ऋण या अग्रिम साधारण अधिवेशन में सदस्यों द्वारा अनुमोदन के बाद स्वीकृत किया जाएगा।

378यठ. (1) किसी उत्पादक कम्पनी के साधारण रिजर्व को सरकार या सह-कारिता या अधिसूचित बैंक या यथाविनिर्दिष्ट, ऐसे अन्य ढंग द्वारा जारी अनुमोदित प्रतिभूति, नियतकालिक निक्षेपों, इकाईयों, बांड से उपलब्ध सुरक्षित उच्चतर प्रत्यागम में निवेश करेगी।

समनुषंगी आदि
को बनाने, अन्य
कंपनियों में निवेश।

(2) कोई उत्पादक कंपनी अपने उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए किसी दूसरी उत्पादक कंपनी के शेयर अर्जन कर सकेगी।

(3) कोई उत्पादक कंपनी, इस निमित्त, विशेष संकल्प द्वारा उत्पादक कंपनी के उद्देश्यों की अभिवृद्धि के प्रयोजन के लिए शेयर पूँजी को या कोई करार करने में या अन्य ठहराव, यदि अपनी समनुषंगी कंपनी को बनाने के रूप में, सह उद्यम या किसी निगमित निकाय के साथ कोई अन्य रीति में प्रतिश्रुत कर सकेगी।

(4) कोई उत्पादक कंपनी या स्वयं से या अपनी समनुषंगियों के साथ उसकी समस्त पूँजी और मुक्त रिजर्व के संकलित तीस प्रतिशत से अनधिक किसी राशि के लिए उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अधीन प्रतिश्रुत पूँजी उत्पादक कंपनी से भिन्न किसी अन्य कंपनी में निवेश प्रतिश्रुत के तौर पर क्रय या शेयरों के बिना कर सकेगी:

परंतु उत्पादक कंपनी अपने साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प द्वारा और केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से इस धारा में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक में निवेश कर सकेगी।

(5) उत्पादक कंपनी द्वारा सभी विनिधान किए जाएंगे, यदि ऐसे विनिधान उत्पादक कंपनी के उद्देश्यों के साथ संगत हैं।

(6) उत्पादक कंपनी बोर्ड उपधारा (3) और उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट इसके किसी विनिधानों का निपटान विशेष संकल्प के द्वारा सदस्यों के पूर्व अनुमोदन के साथ कर सकेगा।

(7) प्रत्येक उत्पादक कंपनी, कंपनी का नाम दर्शाते हुए सभी विनिधानों के विशिष्टियों से युक्त एक रजिस्टर रखेगी, जिसमें अर्जित किए गए शेयर, शेयरों की संख्या और मूल्य; अर्जन की तारीख; और रीति और कोमत जिसमें कोई शेयर तत्पश्चात् निपटाए गए हों।

(8) उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट रजिस्टर उत्पादक कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर रखा जाएगा और उसे किसी सदस्य के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा, जो उससे उद्धरणों को ले सकेगा।

भाग 8

दंड

378यठ. (1) यदि कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत उत्पादक कंपनी से भिन्न है, किसी नाम से कारबार को करता है जो “उत्पादक कंपनी लिमिटेड” शब्दों को अंतर्विष्ट करता है, वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो उसके द्वारा प्रयुक्त ऐसे नाम पर प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए तक हो सकेगा।

उल्लंघन के लिए दंड।

(2) यदि उत्पादक कंपनी का निदेशक या अधिकारी इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत सदस्य या किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित उत्पादक कंपनी के कार्यकलाप से संबंधित किसी सूचना को देने में जानबूझकर असफल रहता है, तो वह कारावास के लिए दायी होगा जा छह मास तक का हो सकेगा और पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के व्यापारावृत्त के पांच प्रतिशत के बराबर जुर्माना हो सकेगा।

(3) यदि उत्पादक कंपनी का निदेशक या अधिकारी,—

(क) उत्पादक कंपनी को उसकी अभिरक्षा में लेखा बही और अन्य दस्तावेजों या संपत्ति की अभिरक्षा को सौंपने में असफल रहता है; या

(ख) वार्षिक साधारण बैठक या अन्य साधारण बैठकों को बुलाने में असफल रहता है,

वह जुमाने से दंडनीय होगा जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, और त्रुटि तथा असफलता के जारी रहने की दशा में अंतिरिक्त जुमाने के साथ ऐसे त्रुटि और असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए तक हो सकेगा।

अध्याय 9

समामेलन, विलयन या विभाजन

नए उत्पादन
कंपनियों को बनाने
के लिए
समामेलन,
विलयन या
विभाजन आदि।

378यढ. (1) एक उत्पादक कंपनी, अपने साधारण बैठक में संकल्प पारित करके,—

(क) किसी अन्य उत्पादक कंपनी को संपूर्ण या भाग में उसकी आस्तियों और दायित्वों को अंतरित करने का विनिश्चय, जो धारा 378ख में विनिर्दिष्ट किसी उद्देश्यों के लिए उसकी साधारण बैठक में पारित किए गए संकल्प द्वारा ऐसे अंतरित करने के लिए सहमति होती है;

(ख) दो या दो से अधिक नए उत्पादक कंपनियों से इसका विभाजन कर सकेगा।

(2) कोई दो या दो से अधिक उत्पादक कंपनी अपने सदस्यों के किसी साधारण या विशेष बैठकों में संकल्प पारित करने के द्वारा यह विनिश्चय करेगी,—

(क) नए उत्पादक कंपनी का समामेलन और प्ररूप; या

(ख) किसी एक उत्पादक कंपनी (इसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में “विलयन कंपनी” कहा गया है) का किसी अन्य उत्पादक कंपनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में “विलय की गई कंपनी” कहा गया है) के साथ विलयन।

(3) इस धारा के अधीन उत्पादक कंपनी के प्रत्येक संकल्प कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा इसके साधारण बैठक में पारित किया जाएगा, ऐसा मताधिकार उपस्थित और मतदान करने वाले इसके सदस्यों के दो-तिहाई के कम नहीं होगा और ऐसा संकल्प आस्तियों और दायित्वों, या विभाजन, समामेलन या विलयन, जैसी भी दशा हो, के अंतरण की सभी विशिष्टियां सम्मिलित होंगी।

(4) इस धारा के अधीन संकल्प के पारित होने के पूर्व उत्पादक कंपनी सभी सदस्यों और लेनदारों को प्रस्तावित संकल्प की प्रति के साथ लिखित में उसकी सूचना देगी जो अपनी सहमति दे सकेंगे।

(5) किसी अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी यह किसी प्रतिकूल संविदा में, कोई सदस्य, या कोई लेनदार संकल्प से सहमत न होते हुए उसकी सूचना की तामील की तारीख से एक महीने की अवधि के दौरान, विकल्प होगा,—

(क) ऐसे सदस्य के मामले में, जो अपना शेयर अंतरित करने के लिए किसी सक्रिय सदस्य को बोर्ड के अनुमोदन के साथ उस कंपनी के सदस्य के रूप में न रह जाना; या

(ख) लेनदार के मामले में, अपने निष्केप या ऋण या अग्रिम के प्रत्याहरण के लिए, जैसी भी दशा हो।

(6) कोई सदस्य या लेनदार, जो उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, ऐसे संकल्प को सहमति दिया हुआ समझा जाएगा।

(7) इस धारा के अधीन उत्पादक कंपनी द्वारा पारित कोई संकल्प एक माह की समाप्ति तक या सभी सदस्यों या लेनदारों की अनुमति प्राप्त हो जाने तक, जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी नहीं होगा।

(8) इस धारा में विनिर्दिष्ट संकल्प,—

(क) भविष्य में उत्पादक कंपनी के कार्यकलापों का संचालन करने के लिए विनियम;

(ख) किसी अन्य सदस्यों या उत्पादक कंपनी द्वारा किसी उत्पादक कंपनी के सदस्य के शेयर या हित का क्रय;

(ग) एक उत्पादक कंपनी का दूसरे उत्पादक कंपनी के द्वारा शेयरों को क्रय करने की दशा में, इसकी शेयर पूँजी की परिणामी कटौती;

(घ) किसी करार का पर्यवसान, अपास्त करना या उपांतर करना, तथापि, एक और कंपनी तथा दूसरी ओर निदेशक, सचिव और प्रबंधक के बीच की गई ऐसी शर्तें और निबंधनों के अलावा शेयर धारकों के बहुमत की राय मामलों की परिस्थितियों में न्यायसंगत और साम्यगत होगी;

(ङ) उत्पादक कंपनी और कोई व्यक्ति जो खंड (घ) में विनिर्दिष्ट नहीं है के बीच किसी करार का पर्यवसान, अपास्त या उपांतरण, के लिए उपबंध करेगा:

परंतु ऐसा कोई करार संबंद्ध पक्षकार को सम्यक् सूचना देने के पश्चात् पर्यवसान, अपास्त या उपांतरित नहीं होगा:

परंतु यह और कि ऐसे करार संबंद्ध पक्षकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् के सिवाय उपांतरित नहीं होंगे।

(च) किसी अंतरण को अपास्त करने, माल का परिदान, संदाय, निष्पादन या संपत्ति से संबंधित कोई अन्य कार्य उत्पादक कंपनी के विरुद्ध संकल्प के पारित होने की तारीख के पूर्व तीन मास के भीतर किया जाता है या किया गया है जो यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है या किया गया है एक कपटपूर्ण अधिमान होते हुए उसको दिवालिया समझा जाएगा;

(छ) उत्पादक कंपनी की संपत्ति या दायित्व के संपूर्ण या उसके भाग के रूप में विलय की गई कंपनी को अंतरण;

(ज) विलय की गई कंपनी में किसी शेयर, डिबेंचर, नीतियों या अन्य हितों को विलय की गई कंपनी द्वारा आबंटन या विनियोजन;

(झ) किसी उत्पादक कंपनी के द्वारा या उसके विरुद्ध लंबित कोई विधिक कार्यवाहियों के विलय की गई कंपनी के विरुद्ध या उसके द्वारा जारी रहना;

(ञ) किसी उत्पादक कंपनी का परिसमापन के बिना विघटन;

(ट) सदस्यों या लेनदारों के लिए किया गया कोई उपबंध जो विसम्मत में हो;

(ठ) उत्पादक कंपनी द्वारा संदर्भ कोई कर, यदि कोई हो;

(ड) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक मामले जो विभाजन, समामेलन या विलयन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं संपूर्णतः और प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किए जाएंगे।

(9) जब इस धारा के अधीन उत्पादक कंपनी द्वारा पारित संकल्प प्रभावी होता है, तब वह संकल्प अंतरिती में आस्तियों और दायित्वों का विहित करने के लिए पर्याप्त हस्तांतरण होगा।

(10) उत्पादक कंपनी सदस्यों और लेनदारों के सभी दावों की पूर्णतया या अन्यथा संतुष्ट होने पर बैठक के लिए व्यवस्था करेगी, जो सदस्य या लेनदार के रूप में, जैसी भी स्थिति हो वे न बने रहने के लिए उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विकल्प का प्रयोग करेंगे।

(11) जहां उत्पादक कंपनी की संपूर्ण आस्तियां और दायित्व उपधारा (9) के उपबंधों के अनुसरण में किसी अन्य उत्पादक कंपनी को अंतरित की गई है या जहां उपधारा (2) के अधीन उसका विलयन किया गया है, प्रथम उल्लिखित कंपनी का रजिस्ट्रीकरण या विलय की गई कंपनी, जैसी भी दशा हो, रद्द होगी और वह कंपनी विघटित समझी जाएगी और तत्काल प्रभाव से कारपोरेट निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रह जाएगी।

(12) जहां दो या दो से अधिक उत्पादक कंपनियां उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार नए उत्पादक कंपनी में समामेलित होती हैं और इस प्रकार बनाई गई उत्पादक कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत की गई है, प्रत्येक समामेलित कंपनियों का ऐसा रजिस्ट्रीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगा और प्रत्येक कंपनी कारपोरेट निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रह जाएगी।

(13) जहां उत्पादक कंपनी उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में दो या अधिक उत्पादक कंपनी में स्वयं विभाजित होती है और नया उत्पादक कंपनी इस अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत हो गई है, तत्कालीन उत्पादक कंपनी का रजिस्ट्रीकरण तत्काल रद्द होगा और कंपनी विघटित समझी जाएगी और कारपोरेट निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रह जाएगी।

(14) पूर्ववर्ती उपधाराओं के अधीन कंपनियों का समामेलन, विलयन या विभाजन किसी भी रीति में नहीं होगी, जो भी पूर्वाधिकार या दायित्व और विधिक कार्यवाहियां जारी रखी गई हैं या किसी तत्कालीन कंपनी के द्वारा या उसके विरुद्ध आरंभ की गई है तो ऐसा समामेलन, विलयन या विभाजन संबद्ध परिणामी कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा जा सकेगा या आरंभ किया जा सकेगा, जैसी भी दशा हो।

(15) रजिस्ट्रार उपधारा (11) से उपधारा (14) के अधीन विघटित की गई प्रत्येक उत्पादक कंपनी के नामों को काट देगा।

(16) आस्तियों के अंतरण, विभाजन, समामेलन या विलयन द्वारा पीड़ित कोई सदस्य या लेनदार या कर्मचारी अधिकरण के समक्ष संकल्प के पारित होने के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकेगा।

(17) अधिकरण संबद्ध व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, जैसा वह ठीक समझे, उसमें आदेश पारित करेगा।

(18) जहां उपधारा (16) के अधीन दाखिल की गई अपील, आस्तियों का अंतरण विभाजन, समामेलन या उत्पादक कंपनी का विलयन अधिकरण के विनिश्चयों के अधीन होगा।

भाग 10

विवादों का समाधान

विवाद। 378यण. (1) जहां किसी उत्पादक कंपनी के निर्माण, प्रबंधन या कारबार से संबंधित कोई विवाद पैदा होता है,—

(क) सदस्यों, पूर्व सदस्यों या सदस्यों के रूप में दावा करने वाले व्यक्ति या मृत सदस्यों के नामिती में; या

(ख) सदस्य, पूर्व सदस्य, या सदस्य के रूप में दावा करने वाले व्यक्ति या मृत सदस्य के नामिती और उत्पादक कंपनी इसके निदेशक बोर्ड, पदाधिकारी या पूर्व या वर्तमान समापक के बीच; या

(ग) उत्पादक कंपनी या इसके बोर्ड, और किसी निदेशक, पदाधिकारी या किसी पूर्व निदेशक या नामिती, उत्तराधिकारी या उत्पादक कंपनी के मृत निदेशक के विधिक प्रतिनिधि के बीच,

ऐसे विवाद माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अधीन यथाउपबंधित सुलह द्वारा या माध्यस्थम् द्वारा 1996 का 26 निपटाया जाएगा, यदि विवाद के पक्षकार सुलह और माध्यस्थम् द्वारा ऐसे विवादों के अवधारण के लिए लिखित में सहमति दे चुके हों और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, विवाद में सम्मिलित होगा,—

(क) किसी ऋण या अन्य बकाया रकम के लिए दावा;

(ख) मूल लेनदार के विरुद्ध प्रतिभू द्वारा दावा, जहां उत्पादक कंपनी किसी अन्य लेनदार या उसके मूल लेनदार से बकाया कोई अन्य रकम के संबंध में प्रतिभू रकम से प्रतिउद्धृत किया गया। मूल लेनदार के त्रुटि के परिणामस्वरूप जहां ऐसे ऋण या बकाया रकम स्वीकृत हो या न हों;

(ग) उसे यथाअपेक्षित पूर्ति के लिए असफल होने पर सदस्य के विरुद्ध उत्पादक कंपनी द्वारा

दावा;

(घ) उत्पादक कंपनी के विरुद्ध सदस्य द्वारा उसे मालों की पूर्ति न करने के लिए दावा।

(2) उत्पादक कंपनी के निर्माण, प्रबंधन या कारबार के संबंध में विवाद होने पर यदि कोई प्रश्न पैदा होता है तो मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

भाग 11

प्रकीर्ण उपबंध

378यत. (1) जहां एक उत्पादक कंपनी अपने रजिस्ट्रीकरण के एक वर्ष के भीतर कारबार को आरंभ करने में असफल रहती है या सदस्यों के साथ कारबार का संव्यवहार नहीं कर पाती है या यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट है, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, कि उत्पादक कंपनी धारा 378ख में विनिर्दिष्ट अपने किसी उद्देश्यों को जारी नहीं रखती है, वह उत्पादक कंपनी के नाम को काटने का आदेश देगा, जो इसके पश्चात् तत्काल रूप से विद्यमान नहीं रह जाएगी:

उत्पादक कंपनी के नाम को काटा जाना।

परंतु ऐसा कोई आदेश यथापूर्वोक्त रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक रजिस्ट्रार के द्वारा उत्पादक कंपनी को कारण बताओ सूचना पारित नहीं कर दी जाएगी, इसके सभी निदेशकों को प्रस्तावित कार्रवाई और युक्तियुक्त अवसर की प्रति के साथ इस मामले में दिए गए निदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।

(2) जहां रजिस्ट्रार को यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि एक उत्पादक कंपनी विनिर्दिष्ट पारस्परिक सहायता सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही है, धारा 248 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में रजिस्टर से उसका नाम काट देगा।

(3) उत्पादक कंपनी का कोई सदस्य, जो उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा पीड़ित है, आदेश के साठ दिनों के भीतर अधिकरण में अपील कर सकेगा।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन अपील दाखिल की गई है, नाम को काटने का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि अपील का निपटारा न हो जाए।

378यथ. इस अध्याय के उपबंध इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगतता के होते हुए भी या किसी ऐसे विधि के आधार पर कोई लिखत प्रभावी होगी; परंतु किसी ऐसे अधिनियम या विधि या लिखत के उपबंध जहां तक वे उसकी प्रकार हैं जिसमें उसका फेरफार नहीं किया गया है, या उससे असंगत है, इस अध्याय के उपबंध उत्पादक कंपनी को लागू होंगे।

इस अध्याय के उपबंधों का अन्य विधियों पर अभिभावी होना।

378यद. इस अध्याय में विनिर्दिष्ट से भिन्न इस अधिनियम के सभी परिसीमाएं, निर्बधन और उपबंध प्राइवेट कंपनी को लागू होने वाले उत्पादक कंपनी को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे यदि इस अधिनियम के अधीन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस अधिनियम के उपबंधों के विरोध में न हो।

प्राइवेट कंपनियों से संबंधित उपबंधों को लागू होना।

भाग 12

अंतरराज्यिक सहकारी सोसाइटी के लिए उत्पादक कंपनी का पुनःसंपरिवर्तन

378यथ. (1) इस अध्याय के अधीन गठित और रजिस्ट्रीकृत एक तत्कालिक अंतरराज्यिक सहकारी सोसाइटी होते हुए कोई उत्पादक कंपनी,—

अंतरराज्यिक सहकारी सोसाइटी के लिए उत्पादक कंपनी का पुनःसंपरिवर्तन।

(क) उपस्थित और मतदान करने वाले इसके दो-तिहाई से अनधिक सदस्यों द्वारा साधारण बैठक में एक संकल्प पास करने के पश्चात्; या

(ख) इसके कुल लेनदारों के दो-तिहाई मूल्य के इसके लेनदारों के अनुरोध पर, अंतरराज्यिक सहकारी सोसाइटी के लिए इसके पुनःसंपरिवर्तन हेतु अधिकरण को,

आवेदन के सकेगी।

(2) अधिकरण उपधारा (1) के अधीन आवेदन देकर इसके सदस्यों या ऐसे लेनदारों, जैसी भी दशा हो, को बैठक आयोजित करने के लिए निदेश देगा जो ऐसी रीति से संचालित होगा जो निदेशित किया गया हो।

(3) यदि लेनदारों या सदस्यों, जैसी भी दशा हो, तीन-चौथाई सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव, उपधारा (2) के अधीन अधिकरण के निदेशों के अनुसरण में संचालित बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य पुनःसंपरिवर्तन के लिए सहमत हैं, यदि अधिकरण के द्वारा मंजूर किया जाता है तो सभी सदस्यों और सभी लेनदारों के ऊपर बाध्यकारी होगा, और कंपनी संपरिवर्तित भी हो जाएगी:

परंतु पुनःसंपरिवर्तन की मंजूरी का आदेश अधिकरण के द्वारा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अधिकरण संतुष्ट न हो जाए कि कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन अधिकरण को प्रकट करते हैं, और शपथ पत्र या अन्यथा के द्वारा सभी सारवन् तत्व जो कंपनी से संबंधित हैं जैसे कि कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति, कंपनी की लेखाओं पर लेखा परीक्षक तत्कालिक रिपोर्ट, अध्याय 14 के अधीन कंपनी से संबंधित किसी अन्वेषण प्रक्रियाओं का लंबित होना, और ऐसे अन्य जिसके द्वारा आवेदन दिया गया है।

(4) उपधारा (3) के अधीन अधिकरण द्वारा दिया गया कोई आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि रजिस्ट्रार को आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल नहीं की गई है।

(5) ऐसे आदेश की प्रति यथापूर्वोक्त दाखिल की गई आदेश की प्रमाणित प्रति जारी करने के पश्चात् कंपनी के ज्ञापन की प्रत्येक प्रति को उपाबद्ध किया जाएगा या किसी ऐसी कंपनी के मामले में, जिसके पास ज्ञापन न हो, ऐसे जारी की गई प्रत्येक प्रति कंपनी के गठन के लिए या उसे परिभाषित करने के लिए लिखत के साथ हो।

(6) उपधारा (4) को लागू करने के लिए की गई कोई व्यतिक्रम, कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो ऐसा व्यतिक्रम करता है, जुर्माने से दंडनीय होगा जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, उसे प्रत्येक प्रति के संबंध में जिसमें व्यतिक्रम किया गया है।

(7) अधिकरण किसी भी समय आवेदन देने के पश्चात् जो इस धारा के अधीन दिया गया है इसके प्रारंभ को रोक सकेगा या किसी वाद के जारी रहने को या ऐसे अधिकरण को ऐसी शर्तों पर कंपनी के विरुद्ध प्रक्रिया को रोक सकेगा जैसा वह ठीक समझे, जब तक कि आवेदन का अंतिम रूप से निपटारा न हो जाए।

(8) प्रत्येक उत्पादक कंपनी जिसको अधिकरण द्वारा पुनःसंपरिवर्तन की मंजूरी दी गई है, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 या सहकारी सोसाइटी के रूप में इसके रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि जैसी भी दशा हो के अधीन अधिकरण द्वारा मंजूर छह महीने के भीतर आवेदन दे सकेगा और अधिकरण और कंपनियों के रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटीयों के रजिस्ट्रार को रिपोर्ट दाखिल कर सकेगा, जिसके अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी, जैसी भी दशा हो, के रूप में रजिस्ट्रीकृत की गई है।

2002 का 39

उत्पादक कंपनियों
को इनके लागू होने
में अधिनियम को
उपांतरित करने की
शक्ति।

378यन. (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम (इस अध्याय में अंतर्विष्ट से भिन्न) के उपबंधों के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट यह निदेश दे सकेगा कि,—

(क) उत्पादक कंपनी या किसी वर्ग या प्रवर्ग को लागू नहीं होगा;

(ख) अधिसूचना में विर्दिष्ट ऐसे अपवाद या अनुकूलन के साथ उत्पादक कंपनी या उसके किसी वर्ग या प्रवर्ग को लागू होगा।

(2) प्रत्येक प्रस्तावित अधिसूचना की प्रति जो उपधारा (1) के अधीन जारी की गई है संसद् के प्रत्येक सदन के समझ प्रस्तुप के रूप में रखी जाएगी जब वह सत्र में हो, तीस दिनों की कुल अवधि के लिए जो एक सत्र में समाविष्ट हो सकेगा या दो या दो से अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगा, और यदि निम्नलिखित सत्र के अव्यवहित सत्र के समापन के पूर्व या उपर्युक्त क्रमवर्ती सत्रों के समापन के पूर्व दोनों सदन अधिसूचना को जारी करने की अननुमोदित करने का करार करते हैं या दोनों सदन अधिसूचना में किसी उपांतरण को करार करते हैं तो अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी, या जैसी भी दशा हो, दोनों सदनों की सहमति पर ऐसे प्रस्तुप को उपांतरित किया जाएगा।

नियम बनाने की
शक्ति।

378यप. केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के उपबंधों के लिए नियम बना सकेगी।

53. मूल अधिनियम की धारा 379 की उपधारा (1) के परंतुक का लोप किया जाएगा। धारा 379 का संशोधन।
54. मूल अधिनियम की धारा 392 में,— धारा 392 का संशोधन।
- (क) शब्द “कारावास के साथ जो छह मास तक का हो सकेगा या” का लोप किया जाएगा;
 - (ख) शब्द “पांच लाख रुपए या दोनों” के स्थान पर शब्द “पांच लाख रुपए” रखा जाएगा।
55. मूल अधिनियम की धारा 393 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 393का का अंतःस्थापन।
- 393क. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी वर्ग को छूट दे सकेगी,— इस अध्याय के अधीन छूट।
- (क) विदेशी कंपनी;
 - (ख) भारत के बाहर निगमित की गई या निगमित की जाने वाली कंपनी, चाहे कंपनी के कारबार का स्थान भारत में है पर स्थापित की गई या नहीं स्थापित की गई है, या उसका गठन स्थापित किया जा सका है या नहीं स्थापित किया जा सका है,
- इस अध्याय के किन्हीं उपबंधों से अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तथा ऐसे प्रत्येक अधिसूचना की प्रति संसद् के दोनों सदनों के समक्ष इसके किए जाने के पश्चात् यथासम्भवशीघ्र रखी जाएगी।
56. मूल अधिनियम की धारा 403 में, उपधारा (1) में, तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:— धारा 403 का संशोधन।
- “परंतु यह भी किसी दस्तावेज, तथ्य या जानकारी जो विहित की जाए, को प्रस्तुत करने, फाईल करने या अभिलिखित करने में दो या अधिक अवसरों पर व्यतिक्रम होता है इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य विधिक कार्रवाई या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अतिरिक्त उच्चतर अतिरिक्त फीस, जो विहित की जाए का संदाय करने पर यथास्थित, प्रस्तुत फाईल, रजिस्ट्रीकृत या अभिलिखित की जा सकेगी।”।
57. मूल अधिनियम की धारा 405 में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 405 का संशोधन।
- “(4) यदि कोई कंपनी उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल होती है या ऐसी सूचना या आंकड़े देगी जो किसी तात्कालिक बात के संबंध में गलत व अपूर्ण है, तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, जो बीस हजार रुपए की शास्ति और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में अधिकतम तीन लाख रुपए के अधीन रहते हुए पहली असफलता के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है एक हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगा।”।
58. मूल अधिनियम की धारा 410 में,— धारा 410 का संशोधन।
- (i) आरंभिक भाग में, “ग्यारह से अनधिक” शब्दों का लोप किया जाएगा;
 - (ii) खंड (ख) में “धारा 53ढ़” शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर “धारा 53क” शब्द, अंक तथा अक्षर रखे जाएंगे।
59. मूल अधिनियम की धारा 418 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 418का का अंतःस्थापन।
- “418क. (1) अपील अधिकरण की शक्तियां अध्यक्ष द्वारा गठित उसकी न्यायपीठ द्वारा प्रयोग की जाएगी:
- परंतु अपील अधिकरण की न्यायपीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होगा;
- (2) अपील अधिकरण की न्यायपीठ साधारणतया नई दिल्ली या ऐसे अन्य स्थानों पर होगी जो केन्द्रीय

सरकार के अध्यक्ष के साथ परामर्श में अधिसूचित करें:

परंतु केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष के साथ परामर्श के पश्चात् अधिसूचना द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 53क और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 61 के अधीन को निर्दिष्ट, किसी निदेश, 2003 का 12 विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए जो वह आवश्यक समझे अपील अधिकरण की न्यायपीठों की ऐसी संग्घा को स्थापित कर सकेगी ।”।

धारा 435 का
संशोधन।

60. मूल अधिनियम की धारा 435 में, उपधारा (1) में “अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराध” शब्दों के स्थान पर “अधिसूचना द्वारा सिवाय धारा 452 के अधीन, इस अधिनियम के अधीन अपराध” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 441 का
संशोधन।

61. मूल अधिनियम की धारा 441 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:

“(5) कंपनी का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो उपधारा (4) के अधीन अधीन अधिकरण या प्रादेशिक निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, इस धारा के अधीन शमन किए जाने वाले प्रस्तावित अपराध के लिए जुर्माने की अधिकतम रकम तत्स्थानी धारा में उपबंध की गई रकम की दोगुनी होगी जिसमें ऐसे अपराध के लिए दंड उपबंधित है ।”।

धारा 446ख के
स्थान पर नई धारा
का प्रतिस्थापन।

कतिपय कंपनियों
के लिए कमतर
शास्त्रियां।

62. मूल अधिनियम की धारा 446ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

‘446ख. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए उसके व्यतिक्रमी अधिकारी एक व्यक्ति कंपनी, लघु कंपनी, स्टार्ट-अप कंपनी या उत्पादन कंपनी या यदि शास्ति द्वारा या ऐसी कंपनी के मामले में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुपालन के लिए देय है तो ऐसी कंपनी उसका व्यतिक्रमी अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति उस शास्ति के लिए दायी होगा जो कंपनी के मामले में अधिकतम दो लाख रुपए के अधीन ऐसे उपबंधों में विनिर्दिष्ट शास्ति के आधे से अनधिक होगी और किसी ऐसे अधिकारी के मामले में जो व्यतिक्रमी है या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, यथास्थिति, एक लाख रुपए होगी।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “उत्पादन कंपनी” से धारा 378क के खंड (ठ) में परिभाषित एक कंपनी अभिप्रेत है;

(ख) “स्टार्ट-अप कंपनी” से इस अधिनियम के अधीन या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन 1956 का 1 एक निगमित प्राइवेट कंपनी अभिप्रेत है और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में स्टार्ट-अप कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त है ।’।

धारा 450 का
संशोधन।

63. मूल अधिनियम की धारा 450 में, “जुर्माने, से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जहां उल्लंघन जारी रहता है, वहां पहले दिन के पश्चात्वर्ती प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है अतिरिक्त जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “जो दस हजार रुपए की शास्ति और जहां उल्लंघन जारी रहता है, वह पहले दिन के पश्चात्वर्ती प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जहां उल्लंघन जारी रहता है, एक हजार रुपए के लिए अतिरिक्त शास्ति से, जो कंपनी के मामले में अधिकतम दो लाख रुपए के अधीन और किसी ऐसे अधिकारी जो व्यतिक्रमी है या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में पचास हजार रुपए के लिए दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 452 का
संशोधन।

64. मूल अधिनियम की धारा 452 में, उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु ऐसे अधिकारी या कर्मचारी का कारावास, यथास्थिति, में सदोष कब्जा या निवास एकक को रोकने हेतु आदेश नहीं दिया जाएगा, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि कोई रकम, जो निम्नलिखित से संबंधित

है, कंपनी ने किसी कर्मचारी या अधिकारी को संदेत नहीं किया है,—

(क) कंपनी द्वारा पोषित उसके अधिकारियों या कर्मचारियों के कल्याण के लिए भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान निधि या कोई अन्य निधि;

1923 का 19

(ख) मृत्यु या निःशक्तता के संबंध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन प्रतिकर के लिए प्रतिकर या दायित्व।”।

65. मूल अधिनियम की धारा 454 में, उपधारा (3) में, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:— धारा 454 का संशोधन।

“परंतु धारा 92 की उपधारा (4) या धारा 137 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अननुपालन के संबंध में व्यतिक्रम के मामले में और ऐसा व्यतिक्रम न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा सूचना के जारी होने के तीस दिन के भीतर या उससे पूर्व परिशोधित किया जाता है, इस संबंध में कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी और ऐसे व्यतिक्रम के मामले में इस धारा के अधीन सभी कार्रवाईयां समाप्त समझी जाएंगी।”।

66. मूल अधिनियम की धारा 465 में, उपधारा (1) में,— धारा 465 का संशोधन।

(क) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ख) दूसरे परंतुक में “परंतु यह और कि” शब्दों के स्थान पर “परंतु” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) तीसरे परंतुक में “परंतु यह और भी कि” शब्दों के स्थान पर “परंतु यह और” शब्द रखे जाएंगे।

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 45)

[18 दिसम्बर, 2021]

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
(2) यह 14 नवंबर, 2021 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1946 का 25

2. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 4ख की उपधारा (1) में निम्नलिखित धारा 4ख का परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:— संशोधन।

“परन्तु उस अवधि का, जिसके लिए निदेशक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति पर पद धारण करता है, लोक हित में, धारा 4क की उपधारा (1) के अधीन समिति की सिफारिश पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए, एक समय पर एक वर्ष तक के लिए विस्तार किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि ऐसे किसी विस्तार को प्रारंभिक नियुक्ति में वर्णित कालावधि सहित कुल पांच वर्ष की कालावधि पूरी होने पर अनुदत्त नहीं किया जाएगा;”।

2021 का
अध्यादेश सं० 10

3. (1) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और व्यावृत्ति।

2021 का
अध्यादेश सं० 10

- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 46)

[18 दिसम्बर, 2021]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003

का और संशोधन

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 है। | संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। |
| (2) यह 14 नवंबर, 2021 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। | |

2003 का 45

- | | |
|--|--------------------|
| 2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 25 के खंड (घ) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:— | धारा 25 का संशोधन। |
|--|--------------------|

“परन्तु उस अवधि का, जिसके लिए प्रवर्तन निदेशक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति पर पद धारण करता है, लोक हित में, खंड (क) के अधीन समिति की सिफारिश पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए, एक समय पर एक वर्ष तक के लिए विस्तार किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि ऐसे किसी विस्तार को प्रारंभिक नियुक्ति में वर्णित कालावधि सहित कुल पांच वर्ष की कालावधि पूरी होने पर अनुदत्त नहीं किया जाएगा;”।

2021 का अध्यादेश सं 9

- | | |
|--|----------------------|
| 3. (1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। | निरसन और व्यावृत्ति। |
|--|----------------------|

2021 का अध्यादेश सं 9

- | | |
|---|--|
| (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। | |
|---|--|

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 47)

[25 दिसम्बर, 2021]

सरोगेसी व्यवहार और प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय, प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड, राज्य सहायताप्राप्त जननीय, प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड का गठन और समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 है।
(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “परित्यक्त बालक” से सरोगेसी प्रक्रिया से जन्मा ऐसा बालक अभिप्रेत है, जिसका उसके आशयित माता-पिता या अभिभावकों द्वारा अभित्यक्त और सम्यक् जांच के पश्चात् समुचित प्राधिकारी द्वारा परित्यक्त के रूप में घोषित कर दिया गया है;

(ख) “स्वार्थीन सरोगेसी” से ऐसी सरोगेसी अभिप्रेत है, जिसमें सरोगेट माता को या उसके आश्रितों या उसके प्रतिनिधियों को, सरोगेट माता पर उपगत चिकित्सीय और ऐसे अन्य विहित व्ययों और सरोगेट माता के लिए बीमा कवर के सिवाय, किसी भी प्रकृति के किन्हीं प्रभारों, व्ययों, फीस, पारिश्रमिक या धनीय प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया गया है;

(ग) “समुचित प्राधिकारी” से धारा 35 के अधीन नियुक्त समुचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) “सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम” से सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 अभिप्रेत है;

(ङ) “बोर्ड” से धारा 17 के अधीन गठित राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड अभिप्रेत है;

(च) “नैदानिक स्थापन” का वही अर्थ होगा, जो उसका नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 में है;

2010 का 23

(छ) “वाणिज्यिक सरोगेसी” से सरोगेसी सेवाओं या प्रक्रियाओं या उसके घटक सेवाओं या घटक प्रक्रियाओं का वाणिज्यिकरण अभिप्रेत है, जिनके अंतर्गत मानवीय भ्रूण का विक्रय या क्रय अथवा मानवीय भ्रूण या युग्मकों के विक्रय या क्रय में व्यापार या किसी सरोगेट माता या उसके आश्रितों या उसके प्रतिनिधियों को, सरोगेट माता पर उपगत चिकित्सीय व्ययों और ऐसे अन्य विहित व्ययों और सरोगेट माता के लिए बीमा कवर को छोड़कर, नकद या वस्तु रूप में कोई संदाय, पुरस्कार, फायदा, फीस, पारिश्रमिक या धनीय प्रोत्साहन देकर सरोगेट मातृत्व की सेवाओं का विक्रय या क्रम अथवा उनका व्यापार करना भी है;

(ज) “दंपत्ति” से क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष की आयु से ऊपर विधिक रूप से विवाहित भारतीय पुरुष और स्त्री अभिप्रेत हैं;

(झ) “डिम्ब” में स्त्री युग्मक सम्मिलित है;

(ञ) “भ्रूण” से निषेचन के पश्चात् छल्पन दिनों की समाप्ति तक विकसित हो रहा या विकसित जीव अभिप्रेत है;

(ट) “भ्रूण विज्ञानी” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में कोई स्नातकोत्तर, चिकित्सीय अर्हता या डाक्टरी है या जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नैदानिक भ्रूण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है और साथ ही कम से कम दो वर्ष का नैदानिक अनुभव है;

(ठ) “निषेचन” से शुक्राणु द्वारा अण्डाणु का वेधन और आनुवंशिक सामग्रियों का संयोजन अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप युग्मनज का विकास होता है;

(ड) “गर्भ” से निषेचन या सूजन (किसी ऐसे समय को अपवर्जित करते हुए, जिसमें उसके विकास को निर्लंबित किया गया है) के पश्चात् सतावनवें दिन से प्रारंभ होने वाली और शिशु के जन्म पर समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई विकसित होने वाला मानवीय जीव अभिप्रेत है;

(ढ) “युग्मक” से शुक्राणु और डिम्बाणुजनकोशिका अभिप्रेत है;

(ण) “स्त्रीरोग विशेषज्ञ” का वही अर्थ होगा, जो उसका गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्ण निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 में है;

1994 का 57

(त) “आरोपण” से जोना-फ्री ब्लास्टोसिस्ट का जुड़ना और पश्चात्वर्ती वेधन अभिप्रेत है, जो निषेचन के पश्चात् पांच से सात दिनों में आरंभ होता है;

(थ) “‘बीमा’” से ऐसा कोई ठहराव अभिप्रेत है, जिसके द्वारा चिकित्सीय व्ययों, स्वास्थ्य संबंधी व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए कोई कंपनी, व्यष्टि या आशय रखने वाला दंपत्ति, सरोगेसी की प्रक्रिया के दौरान सरोगेट माता को होने वाली किसी विनिर्दिष्ट हानि, नुकसान, बीमारी या मृत्यु के लिए प्रतिपूर्ति करने की और ऐसी सरोगेट माता पर होने वाले ऐसे अन्य विहित व्ययों की गारंटी प्रदान करने का वचनबंध करता है।

(द) “‘आशय’” रखने वाला दंपत्ति” से ऐसा दंपत्ति अभिप्रेत है, जिसके पास गर्भकालीन सरोगेसी के लिए आवश्यक उपदर्शन है और जो सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बनने का आशय रखता है;

(ध) “‘आशय रखने वाली महिला’” से कोई ऐसी भारतीय महिला प्रभिप्रेत है, जो 35 वर्ष से 45 वर्ष की आयु के बीच विधवा हो गई है या जिसका विवाह विच्छेद हो गया है और जो सरोगेसी का उपयोग करने के लिए आशय रखती है;

(न) “‘सदस्य’” से, यथास्थिति, राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बोर्ड और सरोगेसी बोर्ड या किसी राज्य सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(प) “‘अधिसूचना’” से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(फ) “‘डिम्बाणुजनकोशिका’” से किसी स्त्री के जननिक क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से अण्डोत्सर्गी डिम्बाणुजनकोशिका अभिप्रेत है;

(ब) “‘बाल रोग विशेषज्ञ’” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अधीन यथा मान्यताप्राप्त बाल रोग में कोई स्नातकोत्तर अर्हता रखता है;

1956 का 102

(भ) “‘विहित’” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(म) “‘रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी’” से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है, जिसके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता है और जिसके नाम को राज्य चिकित्सीय रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है;

1956 का 102

(य) “‘विनियम’” से बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;

(यक) “‘लिंग चयन’” का वही अर्थ है, जो उसका गर्भधारण पूर्व और निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिबंध) अधिनियम, 1994 की धारा 2 खंड (ण) में उसको समनुदेशित किया गया है;

1994 का 57

(यख) “‘राज्य बोर्ड’” से धारा 26 के अधीन गठित राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड अभिप्रेत है;

(यग) विधान-मंडल वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में “‘राज्य सरकार’” से राष्ट्रपति द्वारा संविधान से अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(यघ) “‘सरोगेसी’” से कोई ऐसा व्यवहार अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कोई स्त्री किसी आशय रखने वाली दंपत्ति के लिए बालक को इस आशय के साथ अपने गर्भ में रखती है और उसे जन्म देती है कि वह जन्म के पश्चात् ऐसे बालक को आशय रखने वाले दंपत्ति को सौंप देगी;

(यङ) “‘सरोगेसी क्लीनिक’” से सहायताप्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी सेवाओं, इनविट्रो निषेचन सेवाओं का संचालन किया जाता है, जननिक संबंधी परामर्श केन्द्र, सरोगेसी प्रक्रिया संचालन करने वाली जननिक प्रयोगशाला, सहायताप्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी बैंक या कोई नैदानिक स्थापन, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, का संचालन करने वाला सरोगेसी क्लीनिक केन्द्र या प्रयोगशाला अभिप्रेत है, जहां किसी भी रूप में सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन किया जा रहा है;

(यच) “‘सरोगेसी प्रक्रियाओं’” से ऐसी सभी स्त्री रोग संबंधी प्रासादिक या चिकित्सीय प्रक्रियाएं, तकनीकें, परीक्षण, व्यवहार या सेवाएं अभिप्रेत हैं, जिनमें सरोगेसी में मानवीय युग्मकों और मानवीय भ्रूण के संबंध में कार्यवाही करना अंतर्वलित है;

(यछ) “सरोगेट माता” से वह स्त्री अभिप्रेत है, जो अपने गर्भाशय में भ्रूण के गर्भरोपण से सरोगेसी के माध्यम से (जो आशय रखने वाला दंपत्ति या आशय रखने वाली महिला संबंधी आनुवंशिक है) किसी बालक को जन्म देने के लिए सहमत है;

(यज) “युग्मनज” से प्रथम कोशिका विभाजन से पूर्व निषेचित डिम्बाणुजनकोशिका अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम में परिभाषित हैं वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

अध्याय 2

सरोगेसी क्लीनिकों का विनियमन

सरोगेसी क्लीनिकों
का प्रतिषेध और
विनियमन।

3. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,—

(i) कोई सरोगेसी क्लीनिक, जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो, सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन नहीं करेगा या उनसे सहयुक्त नहीं होगा या किसी भी रीति में उनसे संबंधित क्रियाकलापों के संचालन में सहायता नहीं करेगा;

(ii) कोई सरोगेसी क्लीनिक, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, भ्रूण विज्ञानी, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी रूप में वाणिज्यिक सरोगेसी का संचालन, उसकी प्रस्थापना नहीं करेगा, हाथ में नहीं लेगा, उसका संवर्धन नहीं करेगा या उससे सहयुक्त नहीं होगा या उसका फायदा नहीं उठाएगा;

(iii) कोई सरोगेसी क्लीनिक ऐसे किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा या नियोजित नहीं करवाएगा या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त नहीं करेगा, चाहे वह अवैतनिक आधार पर हो या संदाय पर, जिसके पास विहित की जाने वाली अर्हताएं नहीं हैं;

(iv) कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूण विज्ञानी या कोई अन्य व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न किसी स्थान पर सरोगेसी या सरोगेसी संबंधी प्रक्रियाओं का संचालन नहीं करेगा या नहीं करवाएगा या उनके संचालन में सहायता नहीं करेगा;

(v) कोई सरोगेसी क्लीनिक, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूण विज्ञानी या कोई अन्य व्यक्ति ऐसे किसी विज्ञापन का संवर्धन, प्रकाशन, प्रचार, प्रसार नहीं करेगा या उसका संवर्धन, प्रकाशन, प्रचार, प्रसार या विज्ञापन नहीं करवाएगा,—

(क) जिसका उद्देश्य किसी स्त्री को सरोगेट माता के रूप में कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना हो या जिससे किसी स्त्री के इस प्रकार अभिप्रेरित होने की संभावना हो;

(ख) जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के लिए किसी सरोगेसी क्लीनिक का संवर्धन करना या साधारण रूप से वाणिज्यिक सरोगेसी का संवर्धन करना हो;

(ग) जो किसी स्त्री को सरोगेट माता से रूप में कार्य करने के लिए ईप्सित हो या ईप्सित करने का उद्देश्य रखता हो;

(घ) जो यह कथन करता हो या जिसमें यह अंतर्निहित हो कि कोई स्त्री सरोगेट माता बनने के लिए इच्छुक है; या

(ङ) जो मुद्रण या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य रूप में वाणिज्यिक सरोगेसी का विज्ञापन करता हो;

(vi) कोई सरोगेसी क्लीनिक, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूण विज्ञानी, आशय रखने वाला दंपत्ति या कोई अन्य व्यक्ति सरोगेसी की अवधि के दौरान, सरोगेट माता

की लिखित सहमति के बिना और संबद्ध समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए जाने वाले उस संबंध में प्राधिकार के बिना गर्भपात नहीं करेगा या करवाएगा:

1971 का 34

परंतु समुचित प्राधिकारी का प्राधिकरण गर्भपात का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अधीन रहते हुए और उसके उपबंधों की अनुपालना में होगा;

(vii) कोई सरोगेसी क्लीनिक, रजिस्ट्रीकूत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूण वैज्ञानिक, आशय रखने वाला दंपत्ति या कोई अन्य व्यक्ति, सरोगेसी के प्रयोजन के लिए किसी मानव भ्रूण या युग्मक का भंडारण नहीं करेगा:

परंतु यह कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे भंडारण को अन्य विधिक प्रयोजनों जैसे शुक्राण बैंक, आईवीएफ और चिकित्सीय अनुसंधान को ऐसी अवधि और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रभावित नहीं करेगी;

(viii) कोई सरोगेसी क्लीनिक, रजिस्ट्रीकूत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विज्ञानी, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूण विज्ञानी, आशयित दंपत्ती या कोई अन्य व्यक्ति सरोगेसी के लिए किसी प्ररूप में लिंग चयन संचालित नहीं करेगा या करवाएगा।

अध्याय 3

सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं का विनियमन

4. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,—

सरोगेसी और
सरोगेसी
प्रक्रियाओं का
विनियमन।

(i) खंड (ii) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के सिवाय किसी स्थान का, जिसके अंतर्गत कोई सरोगेसी क्लीनिक भी है, सरोगेसी या सरोगसी प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा या नहीं कराया जाएगा और ऐसा उपयोग खंड (iii) में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों का समाधान होने के पश्चात् ही किया जा सकेगा;

(ii) निम्नलिखित प्रयोजनों के सिवाय, किसी सरोगेसी या किन्हीं सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन नहीं किया जाएगा, उन्हें हाथ में नहीं लिया जाएगा, निष्पादन नहीं किया जाएगा या उनका उपभोग नहीं किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) जब आशय रखने वाले दंपत्ति को एक चिकित्सा उपदर्शन होता है जिसमें गर्भकालीन सरोगेसी की आवश्यकता होती है:

परंतु भारतीय मूल का ऐसा दंपत्ति या आशय रखने वाली ऐसी स्त्री को, जो सरोगेसी, का उपभोग करने के लिए आशय रखती है, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उक्त व्यक्तियों द्वारा, किए गए आवेदन पर बोर्ड से सिफारिश का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड और खंड (iii) के उपखंड (क) की मद (I) के प्रयोजन के लिए “गर्भकालीन सरोगेसी” पद से ऐसी पद्धति अभिप्रेत है जिसके द्वारा सरोगेट माता अपनी गर्भाशय में भ्रूण के गर्भरोपण के माध्यम से आशय रखने वाला दंपत्ति के लिए बालक जन्म देती है और वह बालक सरोगेट माता संबंधी आनुवंशिक नहीं है;

(ख) जब वह केवल स्वार्थीन सरोगेसी के प्रयोजनों के लिए है;

(ग) जब वह किन्हीं वाणिज्यिक प्रयोजनों या सरोगेसी अथवा सरोगेसी प्रक्रियाओं के वाणिज्यिकरण के लिए नहीं है;

(घ) जब वह विक्रय, वेश्यावृत्ति या किसी अन्य रूप में शोषण के लिए बालकों को उत्पन्न करने के लिए नहीं है, और

(ङ) ऐसी कोई अन्य स्थिति या रोग, जिसे बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(iii) कोई सरोगेसी या कोई सरोगेसी प्रक्रियाएं तब तक संचालित नहीं की जाएंगी, हाथ में नहीं ली जाएंगी, निष्पादित या आरंभ नहीं की जाएंगी, जब तक सरोगेसी क्लीनिक के निदेशक या प्रभारी और ऐसा करने के लिए अर्हित व्यक्ति का लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर दिया गया है, अर्थात्:—

(क) आशय रखने वाले दम्पति के पास, समुचित प्राधिकारी द्वारा लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाने पर कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर दिया गया है, जारी अनिवार्यता का प्रमाणपत्र है, अर्थात्:—

(I) आशय रखने वाले दम्पति या आशय रखने वाली स्त्री जिसे सरोगेसी गर्भधारण की आवश्यकता है, किसी एक या दोनों सदस्यों के पक्ष में जिला चिकित्सीय बोर्ड से चिकित्सा उपदर्शन का प्रमाणपत्र है।

स्पष्टीकरण—इस मद के प्रयोजनों के लिए “जिला चिकित्सीय बोर्ड” पद से किसी जिले के मुख्य चिकित्सीय अधिकारी या मुख्य सिविल शल्य चिकित्सक या स्वास्थ्य सेवा संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता के अधीन कोई चिकित्सीय बोर्ड अभिप्रेत है, जो कम से कम दो अन्य विशेषज्ञों, अर्थात् जिले के मुख्य स्त्री रोग विशेषज्ञ या प्रसूति विशेषज्ञ और मुख्य बाल रोग विशेषज्ञ से मिलकर बनेगा;

(II) सरोगेसी के माध्यम से जन्म लेने वाले बालक की जनकता और उसकी अभिरक्षा से संबंधित कोई आदेश प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के या उससे ऊपर के न्यायालय द्वारा, आशय रखने वाले दंपति या आशय रखने वाली स्त्री और सरोगेट माता द्वारा, आवेदन किए जाने पर पारित किया गया है, जो सरोगेट बालक को जन्म देने के पश्चात् जन्म शपथपत्र के रूप में देना होगा; और

(III) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन 1999 का 41 स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी बीमा कंपनी या बीमा अधिकर्ता से प्रसवोत्तर प्रसव समस्या से पहले छत्तीस मास की अवधि के लिए सरोगेट माता के पक्ष में ऐसी रकम का बीमा कवर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, देना होगा;

(ख) सरोगेट माता के पास, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने पर, समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी अनिवार्यता का प्रमाणपत्र है, अर्थात्:—

(I) ऐसी स्त्री के सिवाय, जो कभी विवाहित स्त्री रही हो, जिसका स्वयं का बालक हो और आरोपण के दिवस को जिसकी आयु पच्चीस वर्ष से पैंतीस वर्ष के बीच हो, सरोगेट माता नहीं बनेगी या अपने डिम्ब या डिम्बाणुजनकोशिका का संदान करके या अन्यथा सरोगेसी में सहायता नहीं करेगी;

(II) रजामंद स्त्री इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सरोगेसी माता के रूप में कार्य करेगी और सरोगेसी प्रक्रिया कराने के लिए अनुज्ञात करेगी:

परंतु आशय रखने वाला दंपति या आशय रखने वाली स्त्री किसी रजामंद स्त्री सहित समुचित प्राधिकरण के पास प्रस्ताव रखेगा जो सरोगेट माता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत है;

(III) कोई स्त्री अपनी युग्मक उपलब्ध करने के लिए सरोगेसी मां के रूप में कार्य नहीं करेगी;

(IV) कोई स्त्री अपने जीवनकाल में एक बार से अधिक सरोगेट माता के रूप में कार्य नहीं करेगी:

परंतु सरोगेट माता के संबंध में सरोगेसी प्रक्रियाओं को करने हेतु प्रयासों की संख्या वह होगी जो विहित की जाए; और

(V) किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं के लिए चिकित्सीय और मनोविज्ञानी स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र;

(ग) समुचित प्राधिकारी द्वारा आशय रखने वाले दंपत्ति को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर पृथक् रूप से पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाता हैः—

(I) आशय रखने वाले दंपत्ति विवाहित हों और स्त्री सदस्य की दशा में उसकी आयु प्रमाणन की तारीख को तेइस वर्ष से पचास वर्ष के बीच तथा पुरुष सदस्य की दशा में उसकी आयु छब्बीस वर्ष से पचपन वर्ष के बीच है;

(II) आशय रखने वाले दंपत्ति का जैविक रूप से या गोद लेने के माध्यम से या सरोगेसी के माध्यम से पूर्व में कोई बालक नहीं था;

परंतु इस मद में अंतर्विष्ट कोई बात आशय रखने वाले दंपत्ति को प्रभावित नहीं करेगी जिनका बालक है और वह मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से निःशक्त है या वह जीवन को संकट में डालने वाले विकार से पीड़ित है या उसे कोई घातक रोग है जिसका कोई स्थायी उपचार नहीं है तथा जिसका समुचित प्राधिकारी द्वारा जिला चिकित्सा बोर्ड से सम्यक् चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा अनुमोदन किया गया है; और

(III) ऐसी अन्य शर्तें, जिन्हें बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

5. धारा 4 के खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रयोजन के सिवाय कोई भी व्यक्ति, जिसके अंतर्गत किसी सरोगेट माता या आशय रखने वाला दंपत्ति अथवा आशय रखने वाली स्त्री का कोई नातेदार या पति या आशय रखने वाले दंपत्ति का कोई नातेदार भी है, उस पर कोई सरोगेसी या सरोगेसी प्रक्रियाएं करने की ईम्प्सा नहीं करेगा या उसे प्रोत्साहन नहीं देगा।

सरोगेसी करने का प्रतिषेध।

6. (1) कोई भी व्यक्ति तब तक सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन नहीं करेगा जब तक कि,—

सरोगेट माता की लिखित जागरूक सहमति।

(i) उसने संबद्ध सरोगेट माता को ऐसी प्रक्रियाओं के सभी ज्ञात दुष्प्रभावों और पश्चात्‌वर्ती प्रभावों को स्पष्ट न कर दिया हो; और

(ii) उसने विहित प्ररूप में, ऐसी प्रक्रियाएं करने के लिए सरोगेट माता की लिखित जागरूक सहमति ऐसी भाषा में, जिसे वह समझती हो, प्राप्त न कर ली हो।

(2) उपथारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरोगेट माता के पास उसके गर्भास्य में भूषण को प्रत्यारोपित करने से पूर्व अपनी सहमति को वापस लेने का विकल्प होगा।

7. आशय रखने वाला दंपत्ति या आशय रखने वाली स्त्री सरोगेसी प्रक्रिया से उत्पन्न बालक का, चाहे कोई भी कारण हो, जिसके अंतर्गत कोई आनुवंशिक दोष, जन्म से ही दोष, कोई अन्य चिकित्सा स्थिति, पश्चात्‌वर्ती उत्पन्न होने वाले दोष, बालक का लिंग या एक से अधिक बालकों का गर्भ धारण और सदृश शामिल है किंतु उन तक ही सीमित नहीं है, चाहे भारत में या भारत से बाहर, परित्याग नहीं करेगा।

सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बालक का परित्याग करने का प्रतिषेध।

8. सरोगेसी प्रक्रिया से जन्मे बालक को आशय रखने वाला दंपत्ति या आशय रखने वाली स्त्री का जैविक बालक समझा जाएगा तथा उक्त बालक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्राकृतिक बालक को उपलब्ध सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा।

सरोगेट बालक के अधिकार।

9. सरोगेसी के प्रयोजन के लिए सरोगेट माता के गर्भाशय में अधिरोपित किए जाने वाले डिम्बाणुजनकोशिकाओं या भ्रूणों की संख्या वह होगी, जो विहित की जाए।

आरोपित किए जाने वाले डिम्बाणुजन-कोशिकाओं या भ्रूणों की संख्या।

10. कोई भी व्यक्ति, संगठन, सरोगेसी क्लीनिक, प्रयोगशाला या किसी प्रकार का नैदानिक स्थापन, किसी सरोगेट माता को, ऐसी शर्तों के, जो विहित की जाएं, सिवाय सरोगेसी के किसी भी प्रक्रम पर गर्भपात करने के लिए मजबूर नहीं करेगा।

गर्भपात का प्रतिषेध।

अध्याय 4

सरोगेसी क्लीनिकों का रजिस्ट्रीकरण

सरोगेसी क्लीनिकों का रजिस्ट्रीकरण। 11. (1) कोई भी व्यक्ति तब तक सरोगेसी कारित करने या किसी भी रूप में सरोगेसी प्रक्रियाओं को करने के लिए किसी सरोगेसी क्लीनिक की स्थापना नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा क्लीनिक इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत न हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन समुचित प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप, ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(3) ऐसा प्रत्येक सरोगेसी क्लीनिक, जो या तो आंशिक रूप में या अनन्य रूप से धारा 4 के खंड (ii) में निर्दिष्ट सरोगेसी या सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन कर रहा है, समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा:

परंतु ऐसा क्लीनिक, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के अवसान पर ऐसा परामर्श देना और प्रक्रियाएं करना तब तक बंद कर देगा, जब तक कि ऐसे क्लीनिक ने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन न किया हो और इस प्रकार पृथक् रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो गया हो या जब तक कि उसके आवेदन का निपटारा न कर दिया गया हो इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(4) इस अधिनियम के अधीन किसी सरोगेसी क्लीनिक को तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि समुचित प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा क्लीनिक ऐसी प्रसुविधाएं प्रदान करने और ऐसे उपस्कर और मानक, जिनके अंतर्गत विहित की जाने वाली जनशक्ति, भौतिक अवसंरचना और नैदानिक प्रसुविधाएं भी हैं, बनाए रखने की स्थिति में है।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र। 12. (1) समुचित प्राधिकारी, कोई जांच करने के पश्चात् और स्वयं का यह समाधान करने के पश्चात् कि आवेदक ने इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, ऐसे प्ररूप, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए उसके द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर सरोगेसी क्लीनिक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर कर सकेगा।

(2) जहां कोई जांच करने के पश्चात् और आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ने इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है, वहां वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को नामंजूर करेगा।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और उसे ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, नवीकृत किया जाएगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को सरोगेसी क्लीनिक द्वारा किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

रजिस्ट्रीकरण को रद्द या निलंबित किया जाना। 13. (1) समुचित प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या कोई शिकायत प्राप्त होने पर, किसी सरोगेसी क्लीनिक को इस बात का कारण बताने के लिए कोई सूचना जारी कर सकेगा कि सूचना में उल्लिखित कारणों से उसके रजिस्ट्रीकरण को निलंबित का रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(2) यदि सरोगेसी क्लीनिक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है, तो वह ऐसी किसी दांडिक कार्रवाई, जो वह ऐसे क्लीनिक के विरुद्ध कर सकेगा, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे, उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द या निलंबित कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि समुचित प्राधिकारी की राय यह है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह कारणों को लेखबद्ध करके, उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना जारी किए बिना सरोगेसी क्लीनिक के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर सकेगा।

14. सरोगेसी क्लीनिक या आशय रखने वाला दंपत्ति अथवा आशय रखने वाली स्त्री, धारा 13 के अधीन अपील। समुचित प्राधिकारी द्वारा पारित रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के नामंजूर किए जाने, उसके निलंबन या रद्दकरण के आदेश से संबंधित संसूचना और धारा 4 के अधीन प्रमाणपत्र के रद्दकरण से संबंधित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निम्नलिखित को अपील कर सकेगा,—

(क) राज्य सरकार, जहां कोई अपील राज्य के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध की जाती है;

(ख) केन्द्रीय सरकार, जहां अपील किसी संघ राज्यक्षेत्र के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध की जाती है।

15. इस अधिनियम के अधीन सरोगेसी क्लीनिक के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री नामक एक रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी।

राष्ट्रीय
सहायताप्राप्त
जननीय प्रौद्योगिकी
और सरोगेसी
रजिस्ट्री की
स्थापना।

16. धारा 15 में निर्दिष्ट और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 9 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री होगी और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्री द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

राष्ट्रीय रजिस्ट्री की
बाबत सहायताप्राप्त
जननीय प्रौद्योगिकी
अधिनियम के
उपबंध का लागू
होना।

अध्याय 5

राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड और राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड

17. (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन करेगी, जो राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निष्पादन करेगा।

राष्ट्रीय
सहायताप्राप्त
जननीय प्रौद्योगिकी
और सरोगेसी बोर्ड
का गठन।

(2) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष, पदेन;

(ख) सरोगेसी से संबंधित मामलों में कार्य करने वाले भारत सरकार के विभाग का प्रभारी सचिव, उपाध्यक्ष, पदेन;

(ग) तीन महिला संसद् सदस्य, जिनमें से दो का निर्वाचन लोक सभा द्वारा और एक का निर्वाचन राज्य सभा द्वारा किया जाएगा, पदेन;

(घ) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, महिला और बाल कल्याण विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग और गृह मंत्रालय से प्रभारी तीन सदस्य, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे से न हों, सदस्य, पदेन;

(ङ) केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक, सदस्य, पदेन;

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाने वाली रीति में निम्नलिखित प्रत्येक में से दो नियुक्त किए जाने वाले दस विशेषज्ञ सदस्य,—

(i) सुविष्वात् चिकित्सीय जननिक विज्ञानी या भ्रूण विज्ञानी;

(ii) सुविष्वात् स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति विशेषज्ञ;

(iii) सुविख्यात समाज विज्ञानी;

(iv) महिला कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि; और

(v) महिलाओं के स्वास्थ्य और बाल संबंधी विषयों पर कार्य करने वाले सिविल सोसाइटी से प्रतिनिधि,

जिनके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव होंगा, जो विहित किया जाए;

(छ) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का चक्रानुक्रम से प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामानिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य बोर्डों के चार अध्यक्ष, दो वर्णानुक्रमिक क्रम और दो विलोम वर्णानुक्रमिक क्रम में, सदस्य, पदेन; और

(ज) केन्द्रीय सरकार का संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सरोगेसी विभाग का प्रभारी हो, जो सदस्य सचिव, पदेन होगा।

सदस्यों की पदावधि।

18. (1) पदेन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि निम्नानुसार होगी,—

(क) धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्देशन की दशा में तीन वर्षः

परंतु ऐसे सदस्य की पदावधि उस समय तुरंत समाप्त हो जाएगी, जैसे ही वह सदस्य कोई मंत्री या राज्य मंत्री या उपमंत्री या लोक सभा की अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्य सभा की उपसभापति बनती है या वह उस सदन की, जहां से वह निर्वाचित हुई थी, सदस्य नहीं रह जाती है; और

(ख) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन नियुक्ति की दशा में तीन वर्षः

परन्तु इस खंड के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति की आयु वह होगी जो विहित की जाए।

(2) पद में उद्भूत किसी रिक्ति को, किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग पत्र या बीमारी अथवा किसी अन्य अक्षमता के कारण कृत्यों के निर्वहन में असमर्थता के कारण होने वाली ऐसी रिक्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली नई नियुक्ति से भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त सदस्य, उस व्यक्ति के, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, शेष बची पदावधि के लिए पद धारण करेगा।

(3) उपाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा, जो उसे अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।

बोर्ड की बैठकें।

19. (1) बोर्ड ऐसे स्थानों और समयों पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संब्यवहार (जिनके अंतर्गत उसकी बैठकों की गणपूर्ति भी है) के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं:

परंतु बोर्ड छह मास में कम से कम एक बैठक करेगा।

(2) अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारणवश अध्यक्ष बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उपाध्यक्ष बोर्ड के बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे सभी प्रश्नों का, जो बोर्ड की किसी बैठक में उसके समक्ष आते हैं, विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर रहने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए केवल प्रतिकरात्मक यात्रा व्ययों की प्राप्ति होगी।

रिक्तियों, आदि का बोर्ड की कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि,—
कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना।

20. बोर्ड की कोई कार्यवाई या कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति है अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है।

21. (1) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए और सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरहित होगा और यदि,—

सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरहित होगा और यदि,—

(क) उसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्विलित है; या

(ग) वह शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अक्षम हो गया है; या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनके कारण सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ड) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है; या

(च) वह सरोगेसी क्लीनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संगम का व्यवसायरत सदस्य या पदधारी है और उसके ऐसे वित्तीय या अन्य हित हैं, जिनके कारण सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(छ) वह सरोगेसी या बांझन में वाणिज्यिक हित रखने वाले किसी वृत्तिक निकाय का पदधारी, प्रधान है या उसका प्रतिनिधित्व करता है।

(2) धारा 17 के खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्य को, केन्द्रीय सरकार के किसी ऐसे आदेश जिसे उनके कदाचार या अक्षमता के आधार पर जारी किया हो के सिवाय, उनके पद से नहीं हटाया जाएगा, जिसे केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई किसी जांच के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् कि सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(3) केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी सदस्य को, जिसके विरुद्ध उपधारा (2) के अधीन कोई जांच आरंभ की गई हो या लंबित हो, उस समय तक निलंबित कर सकेगी, जब तक कि जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई आदेश पारित न कर दिया जाए।

22. (1) बोर्ड अपने साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, किसी व्यक्ति को सहयुक्त कर सकेगा जिसकी सहायता या सलाह से उसे अधिनियम के किसी भी उपबंध को पूरा करने के लिए वांछा हो।

विशेष प्रयोजनों के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों का असाधारी रूप से सहयुक्त होना।

(2) बोर्ड के साथ उपधारा (1) के अधीन किसी प्रयोजन के लिए सहयुक्त किए गए व्यक्ति को सुसंगत चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किंतु उसे बोर्ड के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।

बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन।

23. बोर्ड के सभी आदेशों और विनिश्चयों को अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और बोर्ड द्वारा जारी सभी अन्य लिखतों को बोर्ड के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

बोर्ड के सदस्य की पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता।

24. सेवा के यथा विहित अन्य निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति सदस्य न रह जाने पर ऐसे सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

बोर्ड के कृत्य।

परंतु पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य दो लगातार पदावधियों के लिए नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा।

25. बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

बोर्ड के कृत्य।

(क) सरोगेसी से संबंधित नीतिगत विषयों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना;

- (ख) अधिनियम और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन और मानोटर करना तथा उनमें परिवर्तन करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना;
- (ग) सरोगेसी क्लीनिकों में कार्य कर रहे व्यक्तियों द्वारा पालन करने के लिए आचार संहिता अधिकथित करना;
- (घ) सरोगेसी क्लीनिकों द्वारा नियोजित किए जाने के लिए भौतिक अवसंरचना प्रयोगशाला और नैदानिकों उपस्करों तथा विशेषज्ञ जनशक्ति के लिए न्यूनतम मानक अधिकथित करना;
- (ङ) अधिनियम के अधीन गठित विभिन्न निकायों के कार्यपालन की निगरानी करना और उनके प्रभावी कार्यपालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाना;
- (च) राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना; और
- (छ) ऐसे अन्य कृत्य जो विहित किए जाएं।

26. (1) प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र जिसका विधान-मंडल है, यथास्थिति, राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के नाम से ज्ञात बोर्ड का गठन करेगा और जो निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

- (i) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कार्य कर रहे समुचित प्राधिकारियों के क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन करना और उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की सिफारिश करना;
- (ii) अधिनियम, नियम और तद्धीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन को मानोटर करना तथा बोर्ड को उनसे संबंधित सिफारिशें करना;
- (iii) अधिनियम के अधीन राज्य में किए गए विभिन्न क्रियाकलापों के संबंध में यथा विहित की जाने वाली ऐसी समेकित रिपोर्ट, बोर्ड और केन्द्रीय सरकार को भेजना; और
- (iv) ऐसे अन्य कृत्य जो विहित किए जाएं।

27. राज्य बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

- (क) राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष, पदेन;
- (ख) राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का प्रभारी सचिव, उपाध्यक्ष, पदेन;
- (ग) महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण, विधि और न्याय तथा गृह कार्य विभागों के प्रभारी सचिव या आयुक्त या उनके नामनिर्देशिती, सदस्य, पदेन;
- (घ) राज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण महानिदेशक, सदस्य, पदेन;
- (ङ) राज्य विधान सभा या संघ राज्यक्षेत्र विधान परिषद् की तीन महिला सदस्य, सदस्य;
- (च) राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निम्नलिखित प्रत्येक में से दो नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दस विशेषज्ञ सदस्य,—
- (i) विख्यात चिकित्सा आनुवंशिक विज्ञानी या भ्रूण विज्ञानी;
- (ii) विख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति विज्ञानी;
- (iii) विख्यात समाज विज्ञानी;
- (iv) महिला कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि; और
- (v) महिला स्वास्थ्य और बालक विषयों पर कार्य कर रही सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि,
- जो ऐसी अर्हता और अनुभव रखते हों जो विहित किए जाएं।

(छ) महिला कल्याण का प्रभारी राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी, जो पदेन सदस्य सचिव, होगा।

28. (1) पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि,—

सदस्यों की पदावधि।

(क) धारा 27 के खंड (ड) के अधीन नामनिर्देशन की दशा में तीन वर्ष होगी:

परंतु ऐसे सदस्य की पदावधि, उसके मंत्री या राज्य मंत्री या उपमंत्री या विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या विधान परिषद् का उप सभापति बनते ही या उस सदन का सदस्य न रहने पर जिससे उसका चयन किया गया था, तुरंत समाप्त हो जाएगी; और

(ख) धारा 27 के खंड (च) के अधीन नियुक्ति की दशा में तीन वर्ष होगी:

परंतु इस खंड के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति की आयु वह होगी जो विहित की जाए।

(2) मृत्यु, त्यागपत्र या रोग या अन्य अक्षमता के कारण कर्तव्यों का निर्वहन करने में उसकी असमर्थता के कारण हुई पद की रिक्ति को, रिक्ति होने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्ति करके भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्ति उस व्यक्ति की शेष अवधि के लिए जिसके स्थान पर उसकी इस प्रकार नियुक्ति की गई थी, पद धारण करेगा।

(3) उपाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं।

29. (1) राज्य बोर्ड ऐसे स्थानों और समय पर अधिवेशन करेगा और उसके अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा (जिसके अंतर्गत उसके अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए:

परंतु राज्य बोर्ड चार मास में कम से कम एक अधिवेशन करेगा।

(2) अध्यक्ष, बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से अध्यक्ष राज्य बोर्ड के अधिवेशन में भाग लेने में असमर्थ है तो उपाध्यक्ष राज्य बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(3) राज्य बोर्ड के किसी अधिवेशन में उसके समक्ष आने वाले प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के मतों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष का दूसरा या निर्णयक मत होगा और वह उसका उपयोग करेगा।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य राज्य बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए केवल प्रतिकरात्मक यात्रा व्यय को प्राप्त करेंगे।

30. राज्य बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

रिक्तियों, आदि का राज्य बोर्ड की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना।

(क) राज्य बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) राज्य बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) राज्य बोर्ड की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं कर रही है।

31. (1) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने और सदस्य बने रहने के लिए निरहित हो जाएगा यदि वह,—

राज्य बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरहित हो।

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित करता है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है; या

(च) सरोगेसी क्लीनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संगम का व्यवसायरत सदस्य या पदधारी है जिसका वित्तीय या अन्य हित है जिससे उसके सदस्य के रूप में कृत्य करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(छ) सरोगेसी या बांझपन में कोई वाणिज्यिक हित रखने वाले किसी व्यवसायिक निकाय का पदधारी, जो उसकी अध्यक्षता या प्रतिनिधित्व करता है।

(2) धारा 27 के खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्यों को सिवाय उसके साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राज्य सरकार के आदेश द्वारा उनके पद से, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसरण में की गई जांच के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् कि सदस्य को पद से हटाया जाना चाहिए, पद से नहीं हटाया जाएगा।

(3) राज्य सरकार किसी सदस्य को जिसके विरुद्ध उपधारा (2) के अधीन कोई जांच आरंभ की गई है या लंबित है राज्य सरकार द्वारा जांच की रिपोर्ट की प्राप्ति पर कोई आदेश पारित करने तक निलंबित कर सकेगा।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी रूप से सहयुक्त होना।

32. (1) राज्य बोर्ड स्वयं के साथ ऐसी रीति और ऐसे प्रयोजन के लिए जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं किसी व्यक्ति को जिनकी सहायता या सलाह की वह इस अधिनियम के किसी उपबंध को पूरा करने के लिए वांछा करे, सहयुक्त कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा उसके साथ सहयुक्त व्यक्ति को उस प्रयोजनों के लिए सुसंगत चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किंतु उसे राज्य बोर्ड के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।

33. राज्य बोर्ड के सभी आदेशों और विनिश्चयों को अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और राज्य बोर्ड द्वारा जारी सभी अन्य लिखतों को राज्य बोर्ड के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

34. सेवा के यथा विहित अन्य निवंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति राज्य बोर्ड के सदस्य न रह जाने पर ऐसे सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्त का पात्र होगा:

परंतु पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य दो लगातार पदावधियों के लिए नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा।

अध्याय 6

समुचित प्राधिकारी

समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति।

35. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक या अधिक समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए एक या अधिक समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन समुचित प्राधिकारी,—

(क) जब संपूर्ण राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए नियुक्त किए जाएं, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव या उससे ऊपर की पंक्ति का कोई अधिकारी-अध्यक्ष, पदेन;

(ii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का संयुक्त निदेशक या उससे ऊपर की पंक्ति का कोई अधिकारी-उपाध्यक्ष, पदेन;

(iii) महिला संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई विष्यात महिला-सदस्य;

(iv) राज्य के विधि विभाग या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र का उप सचिव से अन्यून की पंक्ति का कोई अधिकारी-सदस्य, पदेन; और

(v) एक विष्यात रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी-सदस्य:

परंतु उनमें होने वाली किसी रिक्ति को, रिक्ति होने के एक मास के भीतर भरा जाएगा;

(ख) जब राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भाग के लिए नियुक्त किया जाता है तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार जैसा उचित समझें ऐसे अन्य पंक्ति के अधिकारी होंगे।

36. समुचित प्राधिकारी निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

समुचित प्राधिकारी
के कृत्य।

(क) किसी सरोगेसी क्लीनिक को रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करना, निलंबित करना या रद्द करना;

(ख) सरोगेसी क्लीनिकों द्वारा पूरे किए जाने वाले मानकों को प्रवृत्त करना;

(ग) इस अधिनियम, इसके तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के भंग करने की शिकायतों का अन्वेषण करना और इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार विधिक कार्रवाई करना;

(घ) स्वप्रेरण से या जानकारी में लाए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा विहित स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान पर सरोगेसी का उपयोग करने के विरुद्ध समुचित विधिक कार्रवाई करना और ऐसी रीति में स्वतंत्र अन्वेषण भी प्रारंभ करना;

(ङ) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना;

(च) बोर्ड और राज्य बोर्डों को प्रौद्योगिकी या सामाजिक स्थितियों में परिवर्तनों के अनुसार नियमों और विनियमों में अपेक्षित उपांतरणों के बारे में सिफारिश करना;

(छ) सरोगेसी क्लीनिकों के विरुद्ध उसे प्राप्त शिकायतों पर अन्वेषण करने के पश्चात् कार्रवाई करना; और

(ज) नब्बे दिन की अवधि के भीतर धारा 3 के खंड (vi) और धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड

(क) के उपखंड (ग) के अधीन किसी आवेदन पर विचार करेगा और उसे अनुदत्त या अस्वीकार करेगा।

37. (1) समुचित प्राधिकारी निम्नलिखित विषयों के संबंध में शक्तियों का उपयोग करेगा, अर्थात्:—

समुचित प्राधिकारी
की शक्तियाँ।

(क) किसी व्यक्ति को समन करना जिसके पास इस अधिनियम और नियमों और तद्धीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन से संबंधित कोई जानकारी है;

(ख) खंड (क) से संबंधित किसी दस्तावेज या तात्त्विक वस्तु को उपस्थित करना;

(ग) किसी ऐसे स्थान की तलाशी लेना जिसकी इस अधिनियम, नियमों और तद्धीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघनों का संदेह है; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जो विहित की जाएं।

(2) समुचित प्राधिकारी सरोगेसी क्लीनिकों के रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने, रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, आशय रखने वाले दंपत्ति और सरोगेट माताओं को प्रमाणपत्र अनुदत्त करना या सरोगेसी क्लीनिकों को अनुज्ञित और वैसे ही अनुदत्त करने से संबंधित अन्य विषयों के व्यौरों को और राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड को ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा, जो विहित किया जाए।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

वाणिज्यिक सरोगेसी, सरोगेट माताओं और सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बालकों के शोषण का प्रतिषेध।

38. (1) कोई व्यक्ति, संगठन, सरोगेसी क्लीनिक या किसी प्रकार की प्रयोगशाला या स्थापन,—

(क) वाणिज्यिक सरोगेसी नहीं करेगा, वाणिज्यिक सरोगेसी या उससे संबंधित संघटक प्रक्रिया या किसी भी रूप में सेवाएं प्रदान नहीं करेगा या सरोगेट माताओं को पैनलीकृत करने या उनका चयन करने के लिए कोई रैकेट या संगठित समूह नहीं चलाएगा या सरोगेट माताओं का प्रबंध करने के लिए व्यष्टिक दलालों या मध्यवर्तीयों और सरोगेसी प्रक्रियाओं का ऐसे क्लीनिकों, प्रयोगशालाओं या किसी अन्य स्थान पर उपयोग नहीं करेगा;

(ख) वाणिज्यिक सरोगेसी के संबंध में किसी भी माध्यम से चाहे वैज्ञानिक या अन्यथा कोई विज्ञापन जारी नहीं करेगा, प्रकाशित नहीं करेगा, वितरित नहीं करेगा या जारी करना, प्रकाशित करना या वितरित करना या संसूचित करना कारित नहीं करेगा;

(ग) सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बालक या बालकों को किसी भी रूप में परित्यक्त या अस्वीकार नहीं करेगा या उनका शोषण नहीं करेगा या परित्यक्त करना, या उनको अस्वीकार करना, उनका शोषण करना कारित नहीं करेगा;

(घ) सरोगेट माता या सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बालक का चाहे कोई भी रीति हो, शोषण नहीं करेगा या शोषण करना कारित नहीं करेगा;

(ङ) सरोगेसी के प्रयोजन के लिए मानव भ्रूण या युग्मकों का विक्रय नहीं करेगा और सरोगेसी के प्रयोजन के लिए मानव भ्रूणों या युग्मकों के विक्रय, क्रय या व्यापार के लिए कोई अभिकरण, रैकेट या संगठन नहीं चलाएगा;

(च) किसी भी रीति में भ्रूणों या मानव युग्मकों का सरोगेसी या सरोगेसी प्रक्रियाओं के लिए आयात नहीं करेगा या आयात करने में सहायता नहीं करेगा; और

(छ) सरोगेसी के लिए किसी भी रूप में लिंग चयन का संचालन नहीं करेगा।

(2) भारतीय दंड संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के खंड 1860 का 45

(क) से खंड (छ) के उपबंधों का उल्लंघन करने पर ऐसे कारावास से, जो दस वर्ष तक बढ़ायी जा सकेंगी और जुमानि से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए “विज्ञापन” पद में कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या कोई अन्य दस्तावेज सम्मिलित है जिसके अंतर्गत इंटरनेट या किसी अन्य मीडिया के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिकी या प्रिंट में विज्ञापन सम्मिलित है और इसके अंतर्गत किसी होर्डिंग, बाल पैटिंग, सिग्नल लाइट, ध्वनि, धूएं या गैस के साधन से कोई दृश्य प्रस्तुत सम्मिलित है।

अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड।

39. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूण विज्ञानी या कोई अन्य व्यक्ति जिसके स्वामित्वाधीन कोई सरोगेसी क्लीनिक है या वह ऐसे क्लीनिक या केन्द्र या प्रयोगशाला के साथ नियोजित है और ऐसे क्लीनिक या केन्द्र या प्रयोगशाला में या उसको अपनी व्यावसायिक या तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है चाहे मानद के आधार पर या अन्यथा और जो इस अधिनियम (धारा 36 में निर्दिष्ट उपबंधों से भिन्न), और नियम या तद्धीन बनाए गए विनियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है वह कारावास से जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुमानि से जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पश्चात्वर्ती अपराध या अपराध के जारी रहने की दशा में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के नाम को समुचित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिसके अंतर्गत पांच वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करना भी है के लिए संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद् को रिपोर्ट किया जा सकेगा।

निःस्वार्थ सरोगेसी का अनुसरण नहीं करने के लिए दंड।

40. कोई आशय रखने वाला युगल या आशय रखने वाली स्त्री अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, जो निःस्वार्थ सरोगेसी का अनुसरण नहीं करने की इच्छा करता है या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए सरोगेसी प्रक्रियाओं को संचालित करता है, सरोगेसी क्लीनिक, प्रयोगशाला या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विज्ञानी, बाल

रोग विशेषज्ञ, भूण विज्ञानी या किसी अन्य व्यक्ति ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो पहले अपराध के लिए पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

41. जो कोई अधिनियम, नियम या तदधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों पर उल्लंघन करता है जिनके लिए इस अधिनियम में किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, कारावास की ऐसी अवधि से जो तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा और ऐसे उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् उल्लंघन के जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

अधिनियम या नियम के उपबंधों जिनके लिए कोई विनिर्विष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है के उल्लंघन के लिए शास्ति।

1872 का 1

42. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब तक कि अन्यथा सावित ना कर दिया गया हो, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि, यथास्थिति, महिला या सरोगेट माता को उसके पति या आशय रखने वाले युगल या किसी अन्य नातेदार द्वारा सरोगेसी सेवाएं, प्रक्रियाएं या युग्मकों का दान करने के लिए धारा 4 के खंड (ii) से भिन्न प्रयोजनों के लिए विवश किया गया है और ऐसा व्यक्ति दुष्प्रेरण के ऐसे अपराध के लिए धारा 40 के अधीन दायी होगा और उस धारा के अधीन विनिर्विष्ट अपराध के लिए दंडनीय होगा।

सरोगेसी की दशा में उपधारणा।

1974 का 2

43. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, गैर-जमानतीय और अशमनीय होगा।

अपराधों का संज्ञेय, गैर-जमानतीय और अशमनीय होना।

44. (1) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, सिवाय निम्नलिखित द्वारा की गई लिखित शिकायत के संज्ञान में नहीं लेगा,—

अपराधों का संज्ञान।

(क) संबंधित समुचित प्राधिकारी या कोई अन्य अधिकारी या कोई अधिकरण जिसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है या कोई समुचित प्राधिकारी; या

(ख) कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत सामाजिक संगठन भी है जिसने विहित रीति में पंद्रह दिन से अन्यून अवधि की, कथित अपराध की ओर न्यायालय को शिकायत करने के अपने आशय की सूचना किसी समुचित प्राधिकारी को दी है।

(2) मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के कानून उपबंधों का लागू न होना।

1974 का 2

45. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त संहिता के अध्याय 21 के सौदा अभिवाक् से संबंधित उपबंध इस अधिनियम के अधीन अपराधों को लागू नहीं होंगे।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

46. (1) सरोगेसी क्लीनिक सभी अभिलेखों, चार्टों, प्ररूपों, रिपोर्टों, सहमति पत्रों और करारों तथा इस अधिनियम के अधीन अन्य सभी दस्तावेजों का अनुरक्षण करेगा और उन्हें पच्चीस वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अवधि के लिए जो विहित की जाए, परिरक्षित किया जाएगा:

अभिलेखों का अनुरक्षण।

परंतु यदि किसी सरोगेसी क्लीनिक के विरुद्ध कोई दांडिक या अन्य कार्यवाहियां संस्थित की जाती हैं, तो ऐसे क्लीनिक के अभिलेखों और अन्य सभी दस्तावेजों को ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटान तक परिरक्षित किया जाएगा।

(2) ऐसी सभी अभिलेख सभी युक्तियुक्त समयों पर समुचित प्राधिकारी या समुचित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

अभिलेखों की तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति।

47. (1) यदि समुचित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन किसी सरोगेसी क्लीनिक या किसी अन्य स्थान पर कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है तो ऐसा प्राधिकारी

या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, सभी युक्तियुक्त समय पर ऐसी सहायता सहित यदि कोई हों, जैसा प्राधिकारी या अधिकारी आवश्यक समझे, ऐसे सरोगेसी क्लीनिक या किसी अन्य स्थान में प्रविष्ट हो सकेगा और तलाशी ले सकेगा तथा किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज, पुस्तक, पैम्फलेट, विज्ञापन या कोई अन्य तात्त्विक सामग्री जो उसमें पाई जाती है की जांच करेगा तथा उसका अभिग्रहण करेगा और उसे मुहरबंद करेगा, यदि ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपाध को किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां तक संभव हो, इस 1974 का 2 अधिनियम के अधीन समुचित प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को लागू होंगे।

सद्भावपूर्वक की
गई कार्रवाइ के
लिए संरक्षण।

48. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कोई बात या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अन्य विधियों के
लागू होने का
वर्जित न होना।

49. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

नियम बनाने की
शक्ति।

50. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे,—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (च) और खंड (थ) के अधीन विहित व्यय;

(ख) धारा 3 के खंड (iii) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत सरोगेसी क्लीनिक में नियोजित व्यक्तियों की न्यूनतम अर्हताएँ;

(ग) धारा 3 के खंड (vii) के अधीन वह अवधि और रीति जिसमें कोई व्यक्ति मानव भ्रूण या युग्मक का भंडारण करेगा;

(घ) धारा 4 के खंड (ii) के उपखंड (क) के परंतुक के अधीन बोर्ड से सिफारिश का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति;

(ड) धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड (क) की मद (iii) के अधीन सरोगेट माता के पक्ष में किसी बीमा कंपनी के बीमा कवर और ऐसे कवर की रीति;

(च) धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड (ख) की मद (iii) के परंतुक के अधीन सरोगेसी या युग्मक उपलब्ध कराने के प्रयासों की संख्या;

(छ) वह प्रस्तुप जिसमें धारा 6 के खंड (ii) के अधीन सरोगेट माता की सहमति अभिप्राप्त की जानी है;

(ज) धारा 9 के अधीन सरोगेट माता के गर्भाशय में रोपित किए जाने वाले डिम्बाणुजन कोशिकाओं या भ्रूणों की संख्या;

(झ) धारा 10 के अधीन वे शर्तें, जिनके अधीन किसी सरोगेट माता को सरोगेसी प्रक्रिया के दौरान गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है;

(ज) वह प्रस्तुप और रीति जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाना है और धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन संदेय फीस;

(ट) धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन सरोगेसी क्लीनिकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएँ, उपस्कर और रखे जाने वाले अन्य मानक;

- (ठ) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन वह अवधि, रीति और प्ररूप, जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा;
- (ड) धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का नवीकरण किया जाएगा और ऐसे नवीकरण के लिए संदेय फीस;
- (ढ) धारा 14 के अधीन वह रीति जिसमें कोई अपील की जा सकेगी;
- (ण) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन यथा अनुज्ञेय सदस्यों की अहताएं और अनुभव;
- (त) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों के विरुद्ध किसी जांच का संचालन करने के लिए प्रक्रियाएं;
- (थ) धारा 24 के अधीन वे शर्तें, जिनके अधीन बोर्ड का कोई सदस्य पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होगा;
- (द) धारा 25 के खंड (च) के अधीन बोर्ड के अन्य कृत्य;
- (ध) धारा 26 के खंड (iii) के अधीन वह रीति, जिसमें राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड तथा संघ राज्य क्षेत्र सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड द्वारा बोर्ड और केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएंगी;
- (न) धारा 26 के खंड (iv) के अधीन राज्य बोर्ड के अन्य कृत्य;
- (प) धारा 27 के खंड (च) के अधीन यथा अनुज्ञेय सदस्यों की अहताएं और अनुभव;
- (फ) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ख) के परंतुक के अधीन धारा 27 के खंड (च) में निर्दिष्ट किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की आयु;
- (ब) धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों के विरुद्ध किसी जांच का संचालन करने के लिए प्रक्रियाएं;
- (भ) धारा 34 के अधीन वे शर्तें, जिनके अधीन राज्य बोर्ड के सदस्य पुनःनियुक्ति के पात्र होंगे;
- (म) धारा 36 के खंड (घ) के अधीन किसी अन्य विषय में समुचित प्राधिकारी को सशक्त करना;
- (य) धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन समुचित प्राधिकारी की अन्य शक्तियाँ;
- (यक) धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे प्ररूप में सरोगेसी क्लीनिकों के रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण को रद्द किए जाने आदि के ब्यौरों की विशिष्टियाँ;
- (यख) धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सूचना दिए जाने की रीति;
- (यग) धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन वह अवधि जिस तक अभिलेख, चार्ट, आदि परिरक्षित किए जाएंगे;
- (यघ) धारा 47 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें दस्तावेजों, अभिलेखों, वस्तुओं, आदि का अभिग्रहण किया जाएगा और वह रीति जिसमें अभिग्रहण सूची तैयार की जाएगी और उस व्यक्ति को परिदृत की जाएगी; और
- (यड) कोई अन्य विषय जिसके लिए इन नियमों द्वारा उपबंध किए गए हैं या किए जा सकते हैं।

51. बोर्ड निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा विनियम बनाने की इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा,— शक्ति।

(क) ऐसी किसी अन्य शर्त का पूरा किया जाना, जिसके अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा 4 के खंड (v) के उपखंड (घ) के अधीन पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाना है;

(ख) बोर्ड के अधिवेशनों का समय और स्थान तथा ऐसे अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे सदस्यों की संख्या, जो धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन गणपूर्ति करेंगे;

(ग) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें किसी व्यक्ति को बोर्ड के साथ अस्थायी रूप से सहयुक्त किया जा सकेगा;

(घ) राज्य बोर्ड की बैठकों का समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में कारबार संव्यवहार के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे सदस्यों की संख्या, जो धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन गणपूर्ति करेंगे;

(ङ) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति, किसी व्यक्ति को बोर्ड के साथ अस्थायी रूप से सहयुक्त किया जा सकेगा; और

(च) कोई अन्य विषय जो विनियमों द्वारा अपेक्षित हो या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

नियमों और
विनियमों का संसद्
के समक्ष रखा
जाना।

52. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम या विनियम या अधिसूचना के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

संक्रमणकालीन
उपबंध।

कठिनाईयों को दूर
करने की शक्ति।

53. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से विद्यमान सरोगेट माताओं को उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए दस मास की सार्वतो अवधि का उपबंध किया जाएगा।

54. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी, ऐसे उपबंध कर सकेगी:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 48)

[29 दिसम्बर, 2021]

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2021 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 1 मई, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 27क में, “धारा 2 का खंड धारा 27क का (viiiक) ” शब्दों, अंक, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 2 का खंड (viiiख) ” शब्द, अंक, कोष्ठक संशोधन। और अक्षर रखे जाएंगे।

1985 का 61

2021 का
अध्यादेश सं. 8

3. (1) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का निरसन किया जाता है। निरसन और व्यावृति।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 49)

[29 दिसम्बर, 2021]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अध्याय 2

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का संशोधन

1950 का 43

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (जिसे इस अध्याय में इसक पश्चात् 1950 का अधिनियम कहा धारा 14 का
गया है), की धारा 14 के खंड (ख) में “जनवरी का पहला दिन” शब्दों के स्थान पर, “1 जनवरी, 1 अप्रैल,
1 जुलाई और 1 अक्टूबर” अंक और शब्द रखे जाएंगे। संशोधन।

धारा 20 का
संशोधन।

3. 1950 के अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (6) में,—

(i) “की पत्ती” शब्द के स्थान पर, “का पति या पत्नी” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “करती हो, तो ऐसी पत्ती” शब्द के स्थान पर “करता/करती हो, तो ऐसे पति या पत्नी” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 23 का
संशोधन।

4. 1950 के अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

‘(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर किसी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति आधार (वित्तीय और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा 2016 का 18 दी गई आधार संख्या प्रस्तुत करें:

परन्तु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजनों के लिए और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों या उसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार निर्वाचक नामावली में उसी व्यक्ति के नाम के रजिस्ट्रीकरण की पहचान करने के लिए निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित व्यक्तियों की आधार संख्या की अपेक्षा भी कर सकेगा।

(5) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया गया है, ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति, में, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित तारीख को या उससे पूर्व अपनी आधार संख्या संसूचित कर सकेगा।

(6) निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए किसी आवेदन से इंकार नहीं किया जाएगा और निर्वाचक नामावली में किन्हीं प्रविष्टियों का किसी व्यष्टि द्वारा ऐसे पर्याप्त कारण से, जो विहित किया जाए, आधार संख्या प्रस्तुत करने या संसूचित करने में असमर्थता के कारण लोप नहीं किया जाएगा:

परन्तु ऐसे व्यष्टि को ऐसे अन्य वैकल्पिक दस्तावेज, जो विहित किए जाएं, प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “आधार संख्या” पद का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के 2016 का 18 खंड (क) में उसका है।’।

धारा 28 का
संशोधन।

5. 1950 के अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (जजज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(जजजक) धारा 23 की उपधारा (5) के अधीन प्राधिकारी और आधार संख्या संसूचित करने का प्ररूप और रीति;

(जजजख) धारा 23 की उपधारा (6) के अधीन वह पर्याप्त कारण और व्यष्टि द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वैकल्पिक दस्तावेज।”।

अध्याय 3

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का संशोधन

धारा 60 का
संशोधन।

6. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में 1951 के अधिनियम 1951 का 43 के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 60 के खंड (ख) के उपखंड (ii) में, दोनों स्थानों पर आने वाले “पत्नी” शब्द के स्थान पर, “पति या पत्नी” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 160 का
संशोधन।

7. 1951 के अधिनियम की धारा 160 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(क) किन्हीं परिसरों की मतदान केन्द्रों के रूप में, मतगणना करने, मतदान पेटियों, वोटिंग मशीनों (वोटर वेरीफिएवल पेपर आडिट ट्रैल सहित) के भंडारण और मतदान हो जाने के पश्चात् मतदान संबंधी सामग्री, सुरक्षा बलों और मतदान कार्मिकों के लिए आवास के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है; या”;

(ii) परन्तुक में, “परन्तु” शब्द के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु ऐसे परिसरों की धारा 30 के अधीन उसके खंड (ड) के अधीन तारीख अधिसूचित होने तक ऐसे निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने के पश्चात् अध्यपेक्षा की जाएगी:

परन्तु यह और कि”।

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन)

अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 8)

[8 अप्रैल, 2022]

झारखण्ड राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची में से भोगता समुदाय का लोप करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 तथा झारखण्ड राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश संक्षिप्त नाम। (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

संविधान
(अनुसूचित
जनजातियां) आदेश,
1950 का
संशोधन।

2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 6क-झारखंड, की प्रविष्टि 3 का संआ० 19
लोप किया जाएगा।

संविधान
(अनुसूचित
जनजातियां)
आदेश, 1950 का
संशोधन।

3. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 22-झारखंड में,— संआ० 22

(i) प्रविष्टि 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“16 खरबार, भोगता, देशवारी, गंडू, दौतलबन्दी (द्वालबंदी), पटबन्दी, राउत, माझिया,
खैरी (खेरी)”;

(ii) प्रविष्टि 24 में “पतार” के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“तमरिया (तमड़िया)”;

(iii) प्रविष्टि 32 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“33. पुरान”।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 9)

[18 अप्रैल, 2022]

त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय
समुदाय को सम्मिलित करने के लिए संविधान (अनुसूचित
जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद्, द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम।
2022 है।

सं आ० 22

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 15-त्रिपुरा की, प्रविष्टि 9 में,
मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
“(iiiक) डालोंग”।

संविधान
(अनुसूचित
जनजातियां)
आदेश, 1950 का
संशोधन।

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 10)

[18 अप्रैल, 2022]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957

का और संशोधन

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में संसद्, द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

संक्षिप्त नाम और

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

प्रारंभ।

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

1957 का 66

2. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में,— साधारण।

(क) “निगम”, “प्रत्येक निगम”, शब्द अधिनियम में, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर “निगम” शब्द रखा जाएगा;

(ख) धारा 36 की उपधारा (३), धारा 41 की उपधारा (१), धारा 43 के खंड (म), धारा 70 के खंड (ख) और खंड (ग), धारा 109 की उपधारा (१), धारा 147 की उपधारा (१), धारा 301 के खंड (घ), धारा 355, धारा 394 की उपधारा (१), धारा 399 की उपधारा (१) के खंड (क) और धारा 481 में, “निगम का क्षेत्र” शब्दों जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर “दिल्ली” शब्द ऐसे परिवर्तनों के अधीन रहते हुए जिनकी व्याकरण के नियमों में अपेक्षा की जाए, रखा जाएगा;

(ग) धारा 1, धारा 3क, धारा 5, धारा 6, धारा 32क, धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 193, धारा 330क और धारा 499 में, “सरकार”, शब्द जहां कहीं वह आता है, के स्थान पर “केन्द्रीय सरकार” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 2 का
संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (६) में “एक निगम” शब्दों के स्थान पर “निगम” शब्द रखा जाएगा;

(ख) खंड (७) में “दिल्ली निगम” शब्दों के स्थान पर “दिल्ली नगर निगम” शब्द रखे जाएंगे।

अध्याय 2 के
शीर्षक और
उपशीर्षक का
प्रतिस्थापन।

4. अध्याय 2 में, शीर्षक और उपशीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और उपशीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“दिल्ली नगर निगम की स्थापना

नगर निगम का गठन”।

धारा 3 का
संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (१) और उपधारा (१क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(१) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, दिल्ली नगर पालिका शासन के भारसाधन में निगम होगा, जो दिल्ली नगर निगम के नाम से ज्ञात होगा।”;

(ख) उपधारा (२) में “सरकार” शब्द के स्थान पर “केन्द्रीय सरकार” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (५) और उपधारा (६) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(५) निगम की स्थापना के समय, निगम में पार्षदों के स्थानों की कुल संख्या और अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, वह होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाए।

(६) निगम की स्थापना के पश्चात् प्रत्येक जनगणना पूरी होने पर, स्थानों की संख्या उस जनगणना में यथा अभिनिश्चित दिल्ली की जनसंख्या के आधार पर होगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाएगी और अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या का अनुपात स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य निकटतम वही होगा, जो दिल्ली की कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या से है:

परंतु किसी भी दशा में कुल स्थानों की संख्या दो सौ पचास से अधिक नहीं होगी और निगम में स्थानों की संख्या का अवधारण केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम की स्थापना के समय किया जाएगा:

परंतु यह और कि पूर्वोक्त रूप में स्थानों के अवधारण का निगम के तत्कालीन संघटन पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक निगम की कालावधि समाप्त नहीं हो जाती है:

परंतु यह भी कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान भिन्न-भिन्न वार्डों को चक्रानुक्रम से ऐसी रीति में आबंटित किए जा सकेंगे, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे।’’।

धारा 42 का
संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 42 में खंड (बक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(बख) बेहतर, त्वरित, जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन के लिए किसी भी समय—कहीं भी के

आधार पर नागरिकों की सेवाओं के लिए ई-गवर्नेंस प्रणाली सुनिश्चित तथा स्थापित करना;”।

7. मूल अधिनियम की धारा 90क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 90क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

“90क. (1) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निगम की स्थापना की तारीख को, तत्कालीन उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी, तुरंत प्रभाव से, निगम के अधिकारी और कर्मचारी बन जाएंगे।

तत्कालीन निगमों के अधिकारियों का निगम का अधिकारी बन जाना।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सरकार ऐसे नियम बना सकेगी, जो अपेक्षित हों।”।

8. मूल अधिनियम की धारा 203 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 203 का संशोधन।

“(3) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ से पूर्व इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियों के उपबंधों के अनुसार पहले से ही की गई संविदाएं, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित निगम की ओर से आयुक्त द्वारा निष्पादित की गई समझी जाएंगी और ऐसी संविदाओं की विधिमान्यता की अवधि के अवसान तक जारी रहेंगी।”।

9. मूल अधिनियम की धारा 388 का लोप किया जाएगा।

धारा 388 का लोप।

10. मूल अधिनियम में, धारा 444 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा 444 का संशोधन।

“(1क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिसों, समनों और अन्य दस्तावेजों की तामील, उसकी एक प्रति प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता को, जो तामील को स्वीकार करने के लिए सशक्त है, सम्यक् रजिस्ट्रीकृत डाक अभिस्वीकृति का परिदान या पारेषण करके या स्पीड पोस्ट या ऐसी कूरियर सेवा द्वारा, जैसा उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाए या दस्तावेजों के पारेषण के किन्हीं अन्य साधनों (जिनके अंतर्गत फैक्स मैसेज या इलैक्ट्रानिकी मेल सेवा भी हैं) द्वारा जिनका उपबंध उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाए, की जा सकेगी।”।

11. मूल अधिनियम की धारा 479 में,—

धारा 479 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में “धारा 31” शब्द और अंकों के पश्चात् “और धारा 3क की उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) में “धारा 3क की उपधारा (2) और” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।

12. मूल अधिनियम की धारा 484क का लोप किया जाएगा।

धारा 484क का लोप।

13. मूल अधिनियम की धारा 514क के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 514क के स्थान पर नई धारा 514कक का प्रतिस्थापन।

“514क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, यदि आवश्यक हो तो, किसी व्यक्ति को, जो विशेष अधिकारी के नाम से ज्ञात होगा, निगम की शक्ति का तब तक प्रयोग करने और कृत्यों का तब तक निर्वहन करने के लिए, जब तक उस तारीख को, जिसको दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ के पश्चात्, निगम की पहली बैठक आयोजित नहीं हो जाती है, नियुक्त कर सकेगी।

विशेष अधिकारी की नियुक्ति।

514कक. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ से ही,—

संक्रमणकालीन उपबंध।

(क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम,

(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् तत्कालीन निगम कहा गया है) को दिल्ली नगर निगम के साथ सम्मिलित कर दिया जाएगा और वे उसका भाग बन जाएंगे;

(ख) किसी संविदा या किसी अन्य लिखत में तत्कालीन निगमों के प्रति किसी निर्देश को दिल्ली नगर निगम के प्रति निर्देश समझा जाएगा;

(ग) तत्कालीन निगमों की या उनसे संबंधित सभी जंगम और स्थावर संपत्तियां, दिल्ली नगर निगम में निहित हो जाएंगी;

(घ) तत्कालीन निगमों के सभी अधिकार और दायित्व, दिल्ली नगर निगम को अंतरित हो जाएंगे और वे उसके अधिकार और दायित्व होंगे;

(ङ) तत्कालीन निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध कोई लंबित कार्यवाहियां, जिनके अंतर्गत कोई अनुशासनिक, माध्यस्थम्, अपील या अन्य विधिक कार्यवाहियां भी हैं, चाहे वे किसी भी प्रकृति की हों, दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी रहेंगी या उसके द्वारा प्रवृत्त होती रहेंगी या उसके विरुद्ध रहेंगी;

(च) ऐसे प्रारंभ से पूर्व बनाए गए कोई नियम, विनियम और उपविधियां, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से संगत हैं, नए नियम, विनियम और उपविधियां बनाए जाने तक लागू होते रहेंगे।”।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। 14. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 11)

[18 अप्रैल, 2022]

दांडिक मामलों में शनाख्त और अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सिद्धदोष
और अन्य व्यक्तियों का माप लेने को प्राधिकृत करने
और अभिलेखों का परिरक्षण करने और उससे
संबद्ध और उसके आनुबंधिक
विषयों के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम होः—

- | | |
|--|--|
| <p>1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम, 2022 है।</p> <p>(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।</p> <p>2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—</p> <p>(क) “मजिस्ट्रेट” से,—</p> <p>(i) किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में, महानगर मजिस्ट्रेट;</p> <p>(ii) किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट; या</p> <p>(iii) किसी व्यक्ति को अच्छे व्यवहार या शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने का
आदेश देने के संबंध में, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अभिप्रेत है;</p> | <p>संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।</p> <p>परिभाषाएं।</p> |
|--|--|

(ख) “माप” के अंतर्गत अंगुलि-चिह्न, हथेली-छाप चिह्न, पद-छाप चिह्न, फोटो, पुतली और दृष्टिपटल स्कैन, शारीरिक या जैविक नमूने और उनका विश्लेषण, व्यवहार संबंधी विशेषताएं, जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर, लिखावट या कोई अन्य परीक्षण, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53 या 1974 का 2 धारा 53क में निर्दिष्ट हैं, सम्मिलित हैं;

(ग) “पुलिस अधिकारी” से किसी पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी या प्रधान कांस्टेबल की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ङ) “कारागार अधिकारी” से किसी कारागार का प्रधान वार्डन की पंक्ति से अन्यून अधिकारी अभिप्रेत है।

(2) शब्दों और पदों, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया 1860 का 45 संहिता, 1973 में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उनके उन संहिताओं में हैं। 1974 का 2

माप लेना।

3. कोई व्यक्ति,—

(क) जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिद्धदोषी है; या

(ख) जिसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 117 के अधीन उक्त संहिता की धारा 107 या 1974 का 2 धारा 108 या धारा 109 या धारा 110 के अधीन किसी कार्यवाही के लिए अपने अच्छे व्यवहार के लिए या शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया; या

(ग) जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया है या किसी निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया गया है,

यदि अपेक्षित हों, किसी पुलिस अधिकारी या किसी कारागार अधिकारी द्वारा अपना माप ऐसी रीति में लेना अनुज्ञात करेगा जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए:

परंतु कोई व्यक्ति जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किए गए किसी अपराध (सिवाय किसी महिला या बालक के विरुद्ध किए गए किसी अपराध या सात वर्ष से अन्यून की किसी अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए) के लिए गिरफ्तार किया गया है, इस धारा के उपबंधों के अधीन उसके जैविक नमूनों को लिया जाना अनुज्ञात करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

4. (1) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख व्यूरो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के निवारण, पता लगाने, अन्वेषण करने और अभियोजन के हित में,—

(क) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या किन्हीं अन्य विधि प्रवर्तन अभिकरणों से माप के अभिलेखों का संग्रह;

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर माप के अभिलेखों का भंडारण, परिरक्षण और नष्ट;

(ग) ऐसे अभिलेखों को सुसंगत अपराध और अपराधी अभिलेखों के साथ प्रोसेस; और

(घ) किसी विधि प्रवर्तन अभिकरण के साथ ऐसे अभिलेखों को साझा और प्रसार,

ऐसी रीति में कर सकेगा, जो विहित की जाए।

(2) माप के अभिलेखों को ऐसे माप का संग्रहण करने की तारीख के पचहत्तर वर्ष की कालावधि के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रोनिकी रूप में प्रतिधारित किया जाएगा:

परंतु कोई व्यक्ति जिसे पूर्व में किसी विधि के अधीन किसी भी अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है, जिसके माप इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लिए गए थे, जिसे सभी विधिक उपचारों को निःशेष करने के पश्चात् विचारण के बिना किसी न्यायालय, द्वारा उन्मोचित कर दिया जाता है या दोषमुक्त करार दिया जाता है तो इस प्रकार लिए गए माप के सभी अभिलेखों को, जब तक कि

न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा कारणों को लेखबद्ध करते हुए अन्यथा निदेश न दिया जाए, अभिलेखों से नष्ट कर दिया जाएगा।

(3) राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन किसी समुचित अभिकरण को अपनी संबंधित अधिकारिताओं में मापों का संग्रहण करने, परिरक्षण करने और साझा करने के लिए अधिसूचित कर सकेंगे।

1974 का 2

5. जहां मंजिस्ट्रेट का दंड प्रक्रिया, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्वेषण करने या कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन माप देने के लिए निदेश देना समीचीन है तो मजिस्ट्रेट इस प्रभाव का एक आदेश कर सकेगा और उस दशा में व्यक्ति जिससे आदेश संबंधित है, ऐसे निदेशों के अनुरूप माप लेना अनुज्ञात करेगा।

मजिस्ट्रेट की किसी व्यक्ति को माप देने के लिए निदेश देने की शक्ति।

6. (1) यदि कोई व्यक्ति जिससे इस अधिनियम के अधीन माप देना अनुज्ञात करना अपेक्षित है, ऐसे मापों को लेने का प्रतिरोध करता है या इंकार करता है तो पुलिस अधिकारी या कारागार अधिकारी से ऐसे मापों को, ऐसी रीति में लेना, जो विहित की जाए, विधिपूर्वक होगा।

माप लेना अनुज्ञात करने का प्रतिरोध।

1860 का 45

(2) इस अधिनियम के अधीन माप लेने को अनुज्ञात करने का प्रतिरोध करना या इंकार करना भारतीय दंड सहिता की धारा 186 के अधीन एक अपराध समझा जाएगा।

वाद का वर्जन करना।

7. किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के किए अशयित किसी बात के लिए कोई वाद या कोई अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

वाद का वर्जन करना।

8. (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टिया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 3 के अधीन माप लेने की रीति;

(ख) मापों के संग्रहण, भंडारण, परिरक्षण की रीति और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेखों के साझा करने, प्रसार करने, नष्ट करने और निपटान करने की रीति;

(ग) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन माप लेने की रीति;

(घ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या जिसके संबंध में उपबंध किया जाना है।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा, या उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम प्रभावी नहीं होगा। किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल, जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है, के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसा विधान-मंडल, एक सदन से मिलकर बना है, उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

9.(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से अंसंगत न हों, जो इस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

कठिनाई को दूर करने की शक्ति।

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीत्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और
व्यावृति।

10. (1) बंदी शनांचल अधिनियम, 1920 का निरसन किया जाता है।

1920 का 33

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या किए जाने के लिए आशयित कोई बात, जिसके अंतर्गत कोई नियम, विनियम या की गई कोई कार्यवाही, बनाया गया कोई नियम या दिया गया कोई निदेश या अधिरोपित कोई शास्ति या जुर्माना, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्पथानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

(3) उपधारा (2) में वर्णित विशिष्ट विषय निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 1897 का 10 की धारा 6 के साधारणतया लागू होने के संबंध में प्रतिकूल अभिनिर्धारित या प्रभावित करने वाले नहीं समझे जाएंगे।

**सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान
प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का
प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2022**

(2022 का अधिनियम संख्यांक 14)

[6 अगस्त, 2022]

सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध
क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध संक्षिप्त नाम और
क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2022 है। प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

नई धारा 12क का अंतःस्थापन।	2. सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—	2005 का 21
वित्त पोषण पर प्रतिषेध।	“12क. (1) कोई व्यक्ति ऐसे किसी क्रियाकलाप का वित्त पोषण नहीं करेगा जो इस अधिनियम के अधीन या संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन या किसी ऐसे अधिनियम के अधीन सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणालियों के संबंध में जारी किए गए किसी आदेश के द्वारा प्रतिषिद्ध है।	1947 का 43
	(2) किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे क्रियाकलाप के वित्त पोषण का निवारण करने के लिए जो इस अधिनियम के अधीन या संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन या किसी ऐसे अधिनियम के अधीन सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणालियों के संबंध में जारी किए गए किसी आदेश के द्वारा प्रतिषिद्ध है, केन्द्रीय सरकार को,—	1947 का 43
	(क) ऐसी निधियों या अन्य वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों,—	
	(i) जो ऐसे व्यक्ति के पूर्णतया या संयुक्ततः, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रण में हैं; या	
	(ii) जिन्हें ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से या उसके निदेश पर धारित किया गया है; या	
	(iii) जिन्हें ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रित निधियों या अन्य आस्तियों से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या सृजित किया गया है,	
	पर रोक लगाने, उनको अभिग्रहण करने या कुर्क करने;	
	(ख) किसी व्यक्ति को किसी ऐसे क्रियाकलाप, जो इस अधिनियम के अधीन या संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन या किसी ऐसे अधिनियम के अधीन सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणालियों के संबंध में जारी किए गए किसी आदेश के द्वारा प्रतिषिद्ध है, के संबंध में व्यक्तियों के फायदे के लिए निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं को उपलब्ध कराने से प्रतिषिद्ध करने, की शक्ति होगी।	1947 का 43
	(3) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग, किसी ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से करेगी जिसे धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति सौंपी गई है।”।	

कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 16)

[12 अगस्त, 2022]

कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984

का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

1984 का 66

2. कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 का धारा 1 का संशोधन।

धारा 1 की उपधारा (3) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।”।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नई धारा 3क का अंतःस्थापन।

“3क. (1) हिमाचल प्रदेश राज्य में 15 फरवरी, 2019 से और नागालैंड राज्य में 12 सितंबर, 2008 से कुटुंब न्यायालयों की स्थापना विधिमान्य समझी जाएगी और सदैव इस प्रकार विधिमान्य हुई समझी जाएगी, मानो धारा 1 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में इस क्षिप्ति कार्रवाइयों का विधिमान्यकरण।

अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख नियत करने की अधिसूचना, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी तारीखों से जारी कर दी गई हो।

(2) कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ से पूर्व हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में, इस अधिनियम के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कोई कार्रवाई, की गई कोई नियुक्ति, निष्पादित किया गया कोई कर्तव्य, बनाया गया कोई नियम, जारी की गई कोई अधिसूचना इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, विधिमान्य रूप से की गई, निष्पादित किया गया, बनाया गया या जारी की गई समझी जाएगी।

(3) कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ से पूर्व, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में इस अधिनियम के अधीन किसी कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति का प्रत्येक आदेश और, यथास्थिति, तैनाती, प्रोन्नति या स्थानांतरण के प्रत्येक आदेश को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप से किया गया समझा जाएगा।

(4) कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ से पूर्व, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों के कुटुंब न्यायालयों द्वारा प्रयोग की गई प्रत्येक शक्ति और पालन किए गए कृत्य, निपटाया गया प्रत्येक मामला, की गई प्रत्येक कार्यवाही, पारित किया गया प्रत्येक आदेश, निर्णय, डिक्री या दंडादेश और किया गया प्रत्येक अन्य कार्य, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप से प्रयोग किया गया, निष्पादित, निपटाया गया, की गई, पारित या किया गया समझा जाएगा।”।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 17)

[16 अगस्त, 2022]

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009

का और संशोधन

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2009 का 25

2. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

धारा 2 का संशोधन।

‘(जक) “गति शक्ति विश्वविद्यालय” से धारा 3च के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;’।

3. मूल अधिनियम की धारा 3ड के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नई धारा 3च का अंतःस्थापन।

गुजरात में गति
शक्ति
विश्वविद्यालय की
स्थापना।

“ ३च. (१) राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, वडौदरा, गुजरात, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा ३ के अधीन मानित विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, को इस १९५६ का ३ अधिनियम के अधीन गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा ।

(२) गति शक्ति विश्वविद्यालय की गज्जक्षेत्रीय अधिकारिता का विस्तार, इस अधिनियम की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट संपूर्ण भारत पर होगा ।

(३) गति शक्ति विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकार द्वारा रेल मंत्रालय में प्रायोजित और वित्तपोषित किया जाएगा ।” ।

धारा ४ का
संशोधन ।

४. मूल अधिनियम की धारा ४ में,—

(i) खंड (ड) में, “इनमें से जो भी पूर्वतर हों, पद धारण करेंगे; और ” शब्दों के स्थान पर “इनमें से जो भी पूर्वतर हों, पद धारण करेंगे;” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(छ) राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, वडौदरा के प्रति किसी संविदा या अन्य लिखत में किसी निर्देश को, इस अधिनियम के अधीन स्थापित गति शक्ति विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश समझा जाएगा;

(ज) राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, वडौदरा की या उससे संबंधित सभी जंगम और स्थावर संपत्तियां, इस अधिनियम के अधीन स्थापित गति शक्ति विश्वविद्यालय में निहित हो जाएंगी;

(झ) राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, वडौदरा के सभी अधिकार और दायित्व, इस अधिनियम के अधीन स्थापित गति शक्ति विश्वविद्यालय के अधिकार और दायित्व होंगे तथा उसे अंतरित हो जाएंगे;

(ज) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२२ के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, वडौदरा द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन स्थापित गति शक्ति विश्वविद्यालय में उसी अवधि के लिए, उसी पारिश्रमिक पर तथा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर और पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषधिकारों सहित अपना पद धारण करेगा या सेवा देगा, जिसे उसके द्वारा इस प्रकार धारण किया गया होता मानो केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२२ अधिनियमित नहीं किया गया हो और वह ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक कि उसके नियोजन को समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसी अवधि, पारिश्रमिक तथा निबंधनों और शर्तों को परिनियमों द्वारा सम्यक्तः परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है:

परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो इसके नियोजन को विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार या, यदि इस निमित उनमें कोई उपबंध नहीं किया गया है तो विश्वविद्यालय द्वारा इसे स्थायी कर्मचारियों की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक के समतुल्य और अन्य कर्मचारियों की दशा में एक मास के पारिश्रमिक के समतुल्य प्रतिकर के रूप में संदाय करके नियोजन को समाप्त किया जा सकेगा;

(ट) राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, वडौदरा के कुलपति और प्रतिकुलपति के प्रति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी लिखत या अन्य दस्तावेज में किसी निर्देश का चाहे वह किसी प्रकार के शब्दों में हो, का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति के प्रति निर्देश है; और

(ठ) राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, वडौदरा का पदधारी, कुलपति केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२२ के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास की अवधि के लिए या

धारा 44 के अधीन ऐसी अवधि उस समय तक, जब तक गति शक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति नहीं की जाती है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।”।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, धारा 5 का अर्थात्:—
संशोधन।

“परंतु यह और कि धारा 3च के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित गति शक्ति विश्वविद्यालय, परिवहन, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन, जिसके अंतर्गत भारत और विदेश में केन्द्रों की स्थापना करना भी है, जैसा उक्त विश्वविद्यालय की राय में अपेक्षित हो, से संबंधित विभिन्न विधाओं में उच्च व्यावालिटी शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास का उपबंध करने के लिए अतिरिक्त उपाय करेगा।”।

6. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची में, क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् पहली अनुसूची निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
का संशोधन।

“5क. गुजरात गति शक्ति विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत।”।

डॉ. रीटा वशिष्ठ
सचिव, भारत सरकार।